



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102025-267261
CG-DL-E-30102025-267261

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 29, 2025/ कार्तिक 7, 1947

No. 314]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 29, 2025/ KARTIKA 7, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2025

मामला सं.-एडीडी (एसएसआर) - 04/2025

फा. सं. 07/08/2025-डीजीटीआर - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

- क. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) को गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" कहा गया है) से एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लोरोइलास्टोमर (जिसे आगे "संबद्ध सामान" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) के आयात पर लगाए गए वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाए जाने हेतु एक निर्णायक समीक्षा शुरू करने की मांग की गई थी।
- ख. आवेदक द्वारा प्रस्तुत *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर, प्राधिकारी ने संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 7/08/2025-डीजीटीआर दिनांक 16 जून 2025 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की। यह जांच नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार यह जांच करने के लिए शुरू की गई थी कि क्या इस शुल्क की समाप्ति से पाटन जारी रहने या इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और घरेलू उद्योग को क्षति होगी और क्या पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है।

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयात की मूल पाटनरोधी जांच 2 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 6/25/2017-डीजीएडी दिनांक 27 दिसंबर 2018 के तहत 18 महीने की अवधि के लिए चीन जन.गण. से फ्लोरोएलस्टोमर के आयात पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी। संबद्ध सामानों पर दिनांक 28 जनवरी 2019 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 6/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत 27 जुलाई 2020 तक 18 महीने की अवधि के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।
2. इसके बाद, दिनांक 7 फरवरी 2020 की अधिसूचना संख्या 7/03/2020-डीजीटीआर के तहत एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की गई। जांच होने तक, दिनांक 21 जुलाई 2020 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 19/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत पाटनरोधी शुल्क को तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ाकर 27 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया था। निर्णायक समीक्षा का अंतिम जांच परिणाम 19 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया और दिनांक 27 नवंबर, 2020 की अधिसूचना संख्या 40/2020 के तहत संबद्ध सामानों पर पांच साल की अवधि के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।
3. मूल जाँच में, पाटनरोधी उपाय केवल 18 महीने की अवधि के लिए लगाए गए थे। इसके बाद, पहली निर्णायक समीक्षा में, पाटनरोधी उपायों को 5 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। यह शुल्क 28 जनवरी 2019 को लगाया गया था और यदि इसे आगे नहीं बढ़ाया गया, तो यह 27 नवंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा।
4. अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, लगाया गया कोई भी पाटनरोधी शुल्क, यदि उसे पहले ही वापस नहीं ले लिया जाता, तो ऐसे लगाए जाने की तिथि से पाँच वर्ष की समाप्ति

पर प्रभावी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, नियमावली के नियम 23(1ख) में निम्नलिखित प्रावधान है:

“अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई भी निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क, उसके लागू होने की तिथि से अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा, जब तक कि निर्दिष्ट प्राधिकारी उस अवधि से पहले स्वयं की पहल पर या घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से, उस अवधि की समाप्ति से पूर्व उचित समयावधि के भीतर किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध पर, इस निष्कर्ष पर न पहुँच जाए कि उक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग में पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है।”

5. उपरोक्त के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करनी होगी कि क्या विद्यमान पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है।
6. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में अंतिम जांच परिणाम, संख्या फा. संख्या 7/03/2020-डीजीटीआर दिनांक 19 अक्टूबर 2020 और अधिसूचना संख्या 40/2020 दिनांक 27 नवंबर 2020 के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. प्रक्रिया

7. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है।
 - क. नियमावली के नियम 5 के अनुसार, जांच की शुरुआत करने से पहले, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के बारे में अधिसूचित किया।
 - ख. नियमावली के नियम 6 के अनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 7/08/2025-डीजीटीआर दिनांक 16 जून 2025 जारी की।
 - ग. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच अवधि (पीओआई) 01 जनवरी 2024 - 31 दिसंबर 2024 है। क्षति की सूचना जांच अवधि और पिछले तीन वर्षों, यानी 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023, और 1 अप्रैल 2023 - 31 मार्च 2024 और जांच की अवधि प्रदान की गई है।
 - घ. क्षति अवधि के लिए संबद्ध सामानों के लेन-देन-वार आयात आंकड़ों के लिए महानिदेशक सिस्टम और डेटा प्रबंधन (डीजी सिस्टम) से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी को आंकड़े प्राप्त हुए और उन्होंने लेन-देन की उचित जांच के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए इन आंकड़ों पर विश्वास किया है।
 - ड. नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-मेल पत्तों के अनुसार, भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के

- ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की एक प्रति भेजी।
- च. नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को उपलब्ध कराई।
- छ. नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी।
- ज. प्राधिकारी ने भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार को प्रश्नावली भेजी। संबद्ध देश की सरकार से अनुरोध किया गया कि वह संबद्ध सामानों के उत्पादकों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना और प्रश्नावली भेजें और उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।
- झ. निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने वर्तमान जांच में पंजीकरण कराया है।

क्र.सं.	संबद्ध देश में उत्पादक/निर्यातकों के नाम
1	केमर्स केमिकल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड
2	केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड
3	चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड
4	डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कंपनी लिमिटेड
5	फ्यूर इंडस्ट्रियल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड
6	हंग हुआ कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
7	सिचुआन डोहोन इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड
8	सिचुआन डोहोन न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
9	सोल्वे स्पेशलिटी पॉलिमर्स (चांगशु) कंपनी लिमिटेड
10	टोक्यो ज़ैर्यो कंपनी लिमिटेड, जापान
11	झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
12	यूनी एलायंस लिमिटेड

- ज. प्राधिकारी ने आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को जांच की शुरुआत की अधिसूचना और आयातक की प्रश्नावलियां भेजी:
- ट. वर्तमान जांच में निम्नलिखित प्रयोक्ताओं/आयातकों ने पंजीकरण कराया है।

क्र.सं.	प्रयोक्ताओं और आयातकों के नाम.
1	ईस्टकॉर्प पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
2	सोल्वे स्पेशलिटीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3	टोक्यो ज़ैर्यो कंपनी लिमिटेड

- ठ. प्राधिकारी ने जनहित और व्यापक अर्थव्यवस्था पर शुल्कों के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। आर्थिक हित प्रश्नावली को प्रशासनिक मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया था। केवल आवेदक ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।
- ड. निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीकरण कराने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को वर्तमान कार्यवाही में अपने सभी अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित करने का निर्देश दिया गया था।
- ढ. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 30 जुलाई 2025 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध देने का निर्देश दिया गया था।
- ण. नियम 6(8) के अनुसार, जहाँ कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुँच से इनकार किया है या समय पर उपलब्ध नहीं कराई है, या जाँच में अत्यधिक बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जाँच परिणाम दर्ज किए हैं।
- त. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की प्राधिकारी द्वारा दावा की गई गोपनीयता की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को, जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ, स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहाँ भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।
- थ. नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान कार्यवाही के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।
- द. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की गणना की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम शुल्क घरेलू उद्योग को हो रही क्षति की भरपाई के लिए पर्याप्त होंगे। एनआईपी की गणना इष्टतम उत्पादन लागत और भारत में घरेलू समान वस्तु के उत्पादन एवं बिक्री की लागत के आधार पर, आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए की गई है।

- ध. प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी अनिवार्य तथ्यों से युक्त प्रकटन विवरण 20 अगस्त 2025 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया। प्राधिकारी ने संगत समझी गई सीमा तक इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों की जांच की है। कोई भी अनुरोध जो केवल पिछली अनुरोधों की पुनरावृत्ति थे और जिनकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।
- न. प्राधिकारी ने वर्तमान प्रयोजनों के लिए संगत माने गए और साक्ष्य से समर्थित सीमा तक कार्यवाही के दौरान सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों, दी गई सूचना और किए गए अनुरोधों की अंतिम जांच परिणाम निकालने में जांच की।
- प. *** किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- फ. जांच अवधि के लिए प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 84.38 रुपये है

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

8. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- क. प्राधिकारी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यौगिकों और एफएफकेएम को जांच के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

ग.2 आवेदक के अनुरोध

9. आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- क. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही है जो मूल जाँच में परिभाषित किया गया था।
- ख. एफकेएम का औद्योगिक उपयोग हाइड्रोलिक ओ-रिंग सील, चेक वाल्व बॉल, विद्युत कनेक्टर, शाफ्ट सील में ऑटोमोटिव प्रयोग, ईंधन इंजेक्टर ओ-रिंग, और एयरोस्पेस उपयोग ईंधन, स्नेहक और हाइड्रोलिक प्रणाली, मैनिफोल्ड गार्स्केट और ईंधन टैंक ब्लैडर में ओ-रिंग सील में होता है।
- ग. एफकेएम का भारत या चीन में कोई समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण नहीं है। आयात मुख्यतः एचएस कोड 39046910 और 39046990 के अंतर्गत आए हैं।
- घ. पिछली जाँच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से यौगिक और एफएफकेएम को बाहर रखा गया है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

10. वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच है और विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जो पिछली जाँचों में परिभाषित किया गया था।

11. मूल जाँच में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -
“वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) है। फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) सिंथेटिक रबर का एक वर्ग है जिसे अत्यधिक उच्च तापमान पर प्रचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। उत्कृष्ट समग्र गुणों के कारण, फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) को "रबर किंग" कहा जाता है। इसमें पूरी तरह से फ्लोरीनयुक्त आणविक संरचना नहीं होती है, और इसकी मुख्य और पार्श्व श्रृंखलाओं में फ्लोरीन परमाणुओं की प्रबल विद्युत ऋणात्मकता होती है। "फ्लोरोइलास्टोमर्स" फ्लोरोपॉलीमर रबर का एक परिवार है, न कि एक इकाई। इसे उनकी फ्लोरीन सामग्री, क्रमशः 66%, 68% और 70% के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। एफकेएम को मोटे तौर पर दो समूहों में वर्गीकृत किया जाता है—कोपोलाइमर और टरपोलाइमर।”
12. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर 2020 की फा. संख्या 7/3/2020-डीजीटीआर-के तहत संपन्न की गई निर्णायक समीक्षा जाँच में, यौगिकों और एफएफकेएम को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया था। संगत उद्धरण नीचे प्रस्तुत है।
“16. उपर्युक्त प्रस्तावित पीसीएन के मद्देनजर, प्राधिकारी का मानना है कि पीयूसी अर्थात् फ्लोरोइलास्टोमर्स में कच्चे गोंद और पूर्व-यौगिक दोनों रूपों में और विभिन्न प्रकार के कोपोलिमर और टेरपोलिमर शामिल हैं। यौगिकों और एफएफकेएम को पीयूसी के क्षेत्र से बाहर रखा जाता है।”
13. कोई टिप्पणी न होने पर, विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही है जो पिछली जाँच में परिभाषित किया गया था।
14. प्राधिकारी ने एक पीसीएन पद्धति अधिसूचित की है जिसे प्राधिकारी ने पिछली निर्णायक समीक्षा में अपनाया था और आवेदक द्वारा वर्तमान जाँच के लिए प्रस्तावित किया गया था। संबंधित जाँच में हितबद्ध पक्षकारों से कहा गया था कि वे इस जाँच की शुरुआत की तिथि से 15 दिनों के भीतर पीयूसी/पीसीएन पद्धति पर, अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हो, दें।
15. रिकॉर्ड में उपलब्ध अनुरोधों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने 8 जुलाई 2025 की सूचना के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र और पीसीएन पद्धति अधिसूचित की और कहा कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा जाँच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र और पीसीएन पद्धति वही रहती है जैसा कि जांच शुरुआत अधिसूचना में परिभाषित किया गया है। स्पष्टीकरण जारी होने के बाद, किसी भी हितबद्ध पक्षकार से पीयूसी के क्षेत्र या पीसीएन पद्धति पर कोई और अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।
16. तदनुसार, वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में अपनाई गई पीसीएन पद्धति वही है जो जांच शुरुआत अधिसूचना में परिभाषित है और दिनांक 8 जुलाई 2025 के नोटिस द्वारा अधिसूचित की गई है। इसे यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है।

क्र.सं.	उत्पाद प्रकार का नाम	पीसीएन	पीसीएन का विवरण
1	को-पॉलिमर-कच्चा गोंद	एफसीपी#आरजी0001	फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) को-पॉलिमर कच्चा गोंद
2	टेरपोलाइमर बिस्फेनॉल क्यूरेबल कच्चा गोंद	एफटीपीबीआरजी0002	फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) टेरपोलाइमर बिस्फेनॉल क्यूरेबल कच्चा गोंद
3	टेरपोलाइमर पेरोक्साइड क्यूरेबल कच्चा गोंद	एफटीपीपीआरजी0003	फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) टेरपोलाइमर पेरोक्साइड क्यूरेबल कच्चा गोंद
4	को-पॉलिमर प्री-कंपाउंड	एफसीपी#पीसी0004	फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) कोपॉलिमर प्री-कंपाउंड
5	टेरपोलाइमर बिस-फिनोल क्यूरेबल प्री-कंपाउंड	एफसीपी#पीसी0005	फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) टेरपोलाइमर बिस्फेनॉल क्यूरेबल प्री-कंपाउंड

17. यह उत्पाद सीमा शुल्क कोड 39046910 और 39046990 के तहत अध्याय 39 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है। यह भी नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से संबद्ध जाँच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। संबद्ध सामानों का आयात निम्नलिखित एचएस कोडों के अंतर्गत किया जा रहा है: 39045090, 39046990, 39049000 और 39046910 ।
18. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद, रासायनिक विशेषताओं, उत्पाद विनिर्देशों, तकनीकी विनिर्देशों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन, तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देश से आयातित सामानों से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से परस्पर परिवर्तनीय हैं। तदनुसार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं और विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही है जो मूल जाँच में परिभाषित किया गया था।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

19. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

घ.2 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

20. आवेदक ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. आवेदक भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है।
- ख. आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है।
- ग. आवेदक संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के किसी उत्पादक या भारत में संबद्ध सामानों के आयातक से संबद्ध नहीं है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

21. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है:

(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान आवेदन-पत्र गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। भारत में संबद्ध सामानों का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक का संपूर्ण भारतीय उत्पादन में हिस्सा है।
23. गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड ने प्रमाणित किया है कि उसने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के लेन-देन-वार आंकड़ों की जाँच की है और पाया है कि गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं किया गया है।
24. यह नोट किया जाता है कि आवेदक नियम 2(ख) के अभिप्राय से पात्र घरेलू उद्योग है, और आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

ड. विविध अनुरोध

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

25. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं: -

- क. पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखना एक अपवाद है, और कानून के सामान्य प्रावधानों के अनुसार पाँच वर्षों के बाद शुल्कों को समाप्त कर दिया जाना अपेक्षित है। मेक्सिको से ओसीटीजी पर यूएस-पाटनरोधी उपायों में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट द्वारा भी इसका समर्थन किया गया है।
- ख. अनिवार्य रूप से निर्णायक समीक्षा जाँच शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

- ग. आवेदक को जाँच अवधि के बाद के आँकड़े प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
- घ. आवेदन-पत्र में व्यापार सूचना 03/2021 द्वारा अनिवार्य महत्वपूर्ण जानकारी का अभाव है, जैसे कि चीन में कुल और अधिशेष क्षमता, तीसरे देशों को निर्यात बिक्री के संबंध में सूचना, और सबसे महत्वपूर्ण, जाँच अवधि के बाद के आँकड़े।

ड.3 आवेदक के अनुरोध

26 आवेदक ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं: -

- क. शुल्कों को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के लिए अधिनियम या नियमों के तहत "असाधारण परिस्थिति" साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुल्कों बढ़ाए जाने के लिए आवश्यक एकमात्र शर्त यह है कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है।
- ख. प्राधिकारी ने बड़ी संख्या में मामलों में दूसरी या उससे भी आगे की निर्णायक समीक्षा में शुल्क जारी रखने की सिफारिश की है।
- ग. शुल्क मूल रूप से केवल 18 महीनों के लिए लगाए गए थे। इसके बाद, दो महीने के और विस्तार के बाद, 2020 में शुल्क 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रहे। इस प्रकार, शुल्क लगभग 6.5 वर्षों से भी कम समय से लागू हैं।
- घ. मूल जांच और पहली निर्णायक समीक्षा में, आवेदक लगातार घाटे में था। अतः प्राधिकारी ने पाटनरोधी राशि बढ़ा दी थी। अतः, केवल वर्तमान समीक्षा की क्षति अवधि में ही आवेदक पाटन के विरुद्ध प्रभावी उपाय प्राप्त करने में सक्षम हो पाया। यह केवल लागू शुल्कों के कारण ही संभव हो पाया है, जिन्होंने देश में सस्ते आयातों के प्रवाह को प्रतिबंधित किया और घरेलू उद्योग को भारतीय बाजार में सेवा प्रदान करने की अनुमति दी। यदि शुल्क जारी नहीं रखे गए, तो चीन जन.गण. के निर्यातक कम कीमतों पर आक्रामक तरीके से निर्यात करना शुरू कर देंगे और घरेलू उद्योग को एक बार फिर क्षति होगी।
- ड. इस अनुरोध के संबंध में कि शुल्क आवेदक को पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त है, शुल्क लगभग 6.5 वर्षों से भी कम समय से लागू हैं। इसके विपरीत, यूरोपीय संघ के उद्योग को बहुत लंबी अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क मिलता है। छह महीने की अवधि जिसके लिए अंतरिम शुल्क लागू होता है, उसे पाँच साल की अवधि में भी नहीं गिना जाता है। भारतीय परिपाटी के विपरीत, यूरोपीय संघ शुल्क की समाप्ति के अंतिम महीने और कभी-कभी अंतिम सप्ताह में निर्णायक समीक्षा शुरू करता है, और फिर समीक्षा के परिणाम आने तक पाटनरोधी शुल्क को बढ़ा देता है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

27. इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदन-पत्र व्यापार सूचना 03/2021 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, जो संशोधित समय-सीमा और आवेदक द्वारा निर्णायक समीक्षा जाँच के लिए प्रदान की जाने वाली सूचना से संबंधित है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने

अपने आवेदन-पत्र में तीसरे देशों के निर्यात, क्षमता विस्तार, निर्यातोन्मुखता और अधिशेष क्षमताओं के बारे में सूचना प्रदान की है। वर्तमान निर्णायक समीक्षा जाँच को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर जाँच शुरू की गई थी और जाँच शुरू होने पर सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने आँकड़े और विचार प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। प्राधिकारी द्वारा वर्तमान अंतिम जाँच परिणाम में संगत सीमा तक इस पर विचार किया गया है।

28. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि 5 वर्ष की अवधि के बाद पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करना मानक है और शुल्क को जारी रखना मानक का अपवाद है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि उसे पहले वापस नहीं ले लिया जाता, ऐसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा, बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार, समीक्षा में, इस राय पर पहुंचती है कि ऐसे शुल्क को समाप्त करने से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है, तो वह समय-समय पर ऐसे लगाए जाने की अवधि को पांच वर्ष तक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिनियम की धारा 9(क)(5) और नियमावली के नियम 23 के अनुसार, शुल्क के लागू रहने की अधिकतम अवधि पर कोई प्रतिबंध नहीं है। शुल्कों के विस्तार के लिए आवश्यक एकमात्र शर्त यह है कि क्या ऐसे शुल्क को समाप्त करने से पाटन के जारी रहने या बार-बार होने और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। पाटनरोधी शुल्क को पाटन और क्षति की संभावना को कम करने के लिए आवश्यकतानुसार अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, या यदि शुल्क जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है, तो इसे वापस लिया जा सकता है।
29. वर्तमान मामले में आवेदक ने पाटन जारी रहने या उसके बार-बार होने तथा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का तर्क देते हुए आवेदन-पत्र दायर किया है। नियम 23 (1ख) के तहत एक समीक्षा शुरू की गई है और प्राधिकारी यह निर्धारित करेंगे कि पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति के बार-बार जारी रहने की संभावना है या नहीं।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

30. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- क. केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड (सीसीएफ), केमर्स और झोंगहाओ चेंगुआंग के बीच 50:50 अनुपात वाला एक संयुक्त उद्यम है।
- ख. सीसीएफ पहली बार इस जाँच में भाग ले रहा है और उसने पिछली जाँचों के दौरान उत्पाद का निर्यात नहीं किया था।

- ग. सीसीएफ को पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के तहत "नए शिपर" के रूप में नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह एक ऐसे मौजूदा उत्पादक से 'संबद्ध' है जो पहले से ही मूल जाँच का हिस्सा रहा है।
- घ. सीसीएफ, झोंगहाओ चेंगुआंग से संबद्ध है क्योंकि झोंगहाओ चेंगुआंग में 5% से अधिक शेयर रखने वाला व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से (झोंगहाओ चेंगुआंग के माध्यम से) संयुक्त उद्यम कंपनी में भी 50% शेयर रखता है और इस प्रकार यह स्थिति व्यापार सूचना संख्या 9/2018 के खंड (iv) में निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है।
- ड. कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका से एलडीपीई के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी ने दो निर्यातकों (सदारा और पेट्रो रबीग) को एकल इकाई माना। सदारा में प्रमुख शेयरधारिता सऊदी अरामको की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के पास है, और सऊदी आरामको भी पेट्रो रबीग से संबद्ध है।
- च. तीसरे देश की निर्यात कीमत को सामान्य मूल्य के रूप में उपयोग करना अनुबंध । के पैरा 7 के तहत विवेकाधीन है और इसे केवल तभी अपनाया जाना चाहिए जब इससे भारत में घरेलू या निर्मित कीमतों की तुलना में अधिक सटीक और निष्पक्ष तुलना प्राप्त हो।
- छ. झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड ने इस दावे पर विवाद किया है कि केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड उनसे संबद्ध है। यह कहा गया है कि केमर्स शंघाई और झोंगहाओ चेंगुआंग एक ही समूह नहीं हैं।
- ज. एलडीपीई मामले का संदर्भ उचित नहीं है क्योंकि वहां निर्यातकों को एकल कंपनी माना गया था क्योंकि वे न केवल संबद्ध थे बल्कि समान निर्यात चैनलों के माध्यम से प्रचालित भी थे और एक एकीकृत समूह के रूप में कार्य करते थे। वर्तमान मामले में, केमर्स शंघाई और झोंगहाओ चेंगुआंग स्वतंत्र हैं, एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और अलग-अलग निर्यात करते हैं।
- झ. आवेदक के इस दावे पर कि निर्यातक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में अपनी संबद्ध कंपनियों की कीमत के बारे में सूचना प्रदान कर सकते थे, किसी निर्यातक पर किसी तीसरे देश की उत्पादन लागत या बिक्री कीमत के बारे में आंकड़े प्रस्तुत करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, केवल इसलिए कोई समूह कंपनी ऐसे तीसरे देश में मौजूद है। प्रत्येक कानूनी कंपनी से संबंधित आंकड़े गोपनीय है और आवेदक ने उस प्रावधान का उल्लेख नहीं किया है जिसके तहत ऐसे आंकड़े मांगे जा सकते हैं।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

31. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. अभिगम नयाचार और प्राधिकारी की परिपाटी के अनुसार, चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। बाजार अर्थव्यवस्था वाला व्यवहार तभी स्वीकार्य हो सकता है जब उसका दावा किया जाए और उसकी उपयुक्तता दर्शाई जाए।
- ख. किसी भी उत्पादक ने गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली दाखिल नहीं की है।
- ग. अन्य किसी ने यह नहीं दर्शाया है कि उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं, इसलिए प्राधिकारी को चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।
- घ. सामान्य मूल्य संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात कीमत पर आधारित होना चाहिए, जिसे निवल कारखानागत स्तर पर निकालने के लिए समायोजित किया गया हो।
- ङ. पिछली जाँच में, चूँकि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में कच्चे गोंद की कीमतें यौगिक-पूर्व कीमतों से अधिक थीं, इस पद्धति का अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विरोध किया गया था और प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर, विधिवत समायोजित, सामान्य मूल्य निर्धारित किया था।
- च. वर्तमान जांच की जांचावधि में, अमेरिका से कच्चे गोंद और यौगिक-पूर्व कीमतें वैश्विक कीमतों के अनुरूप रही हैं।
- छ. प्रतिभागी निर्यातकों के प्रचालन यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में है। डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कंपनी लिमिटेड, डाइकिन इंडस्ट्रीज का एक हिस्सा है, जिसका अमेरिका में डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स यूएसए नामक एक प्रभाग है, जो संबद्ध सामानों का निर्यात करता है। सोल्वे स्पेशियलिटी पॉलिमर्स (चांगशु) कंपनी लिमिटेड, सोल्वे समूह का एक हिस्सा है, जिसके प्रचालन अमेरिका, यूरोप और एशिया सहित कई देशों में हैं। इन निर्यातकों को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए तीसरे देशों से भारत को अपने निर्यात की सूचना प्रदान करनी चाहिए थी।
- ज. सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में वास्तव में भुगतान की गई कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के अनुक्रम के अनुसार, भारत में प्रदत्त कीमत भारत में देय कीमत पर पूर्वोदाहरण लेती है। चूँकि आवेदक को जांच की अवधि में कोई क्षति नहीं हुई है, इसलिए उसकी बिक्री कीमत देश में उपलब्ध वास्तविक कीमत है और इसे सामान्य मूल्य माना जा सकता है।
- झ. सीसीएफ द्वारा झोंगहाओ चेंगुआंग के समान शुल्क प्रदान करने के अनुरोध पर, केवल दो कंपनियों के बीच संबंध शुल्क समाप्त करने के लिए अपर्याप्त है।
- ञ. आवेदक ने उपायों के विस्तार की मांग की है, और यह कोई वर्तमान क्षति का मामला नहीं है, इसलिए मौजूदा शुल्कों को बढ़ाया जाना आवश्यक है।
- ट. डीओपीपी के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में, प्राधिकारी ने कोडक और लकी पर उनके स्वीकृत संबंध के बावजूद पाटनरोधी शुल्क समाप्त नहीं किया है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

क. सामान्य मूल्य

32. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

(ख) बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

33. निर्यातकों की प्रश्नावली का उत्तर निम्नलिखित उत्पादकों और उनके संबद्ध निर्यातकों द्वारा दायर किया गया है।

क. चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड

ख. केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड, मेसर्स केमर्स केमिकल शंघाई) कंपनी लिमिटेड, टोक्यो जैर्यो कंपनी लिमिटेड, जापान के माध्यम से।

ग. डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कंपनी लिमिटेड और इसका निर्यातक यूनी एलायंस।

घ. सिचुआन डोहोन न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड और निर्यातक डोहोन इंटरनेशनल।

ड. झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड

34. प्राधिकारी चीन जन.गण. में उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और पैरा 8 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों को नोट करते हैं:

“7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय उप उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।

8 (1) “गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश” वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य सामानों की बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार सामानों के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।”

(2) यह कहना पूर्वानुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्ल्यू.टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट

राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती हैं; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में; (ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है; (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं; तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को लागू कर सकते हैं।

(4) उप-पैरा (2) में निहित किसी बात के होते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जो संगत मानदंडों के नवीनतम विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर, जिसमें उप-पैरा (3) में निर्धारित मानदंड शामिल हों, उस किसी देश द्वारा पाटनरोधी जांचों के प्रयोजन के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने के लिए निर्धारित अथवा सार्वजनिक दस्तावेज में उस मूल्यांकन के प्रकाशन से माना गया हो, जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है।

35. जांच की शुरुआत के स्तर पर, प्राधिकारी चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मानने की धारणा से कार्यवाही की। जांच शुरू करने पर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दी कि वे जांच की शुरुआत की सूचना का उत्तर दें और यह सूचना प्रदान करें कि क्या उनके आंकड़ों/सूचना को सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी ने इस संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए चीन जन.गण. के सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार/पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं।
36. विश्व व्यापार संगठन में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

“ (क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद -VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि चीन जन.गण. के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(ii) के प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में एमईटी स्तर का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंडों की अपेक्षा होती है।
38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में उल्लिखित अवधारणाओं का खंडन करने के लिए पूरक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। इन परिस्थितियों में, प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करनी है।
39. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के लिए सामान्य मूल्य की गणना करने की तीन पद्धतियां निर्धारित की गई हैं: (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर; (ख) तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत; और (ग) किसी अन्य उचित आधार पर। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 के प्रावधानों के तहत, सामान्य मूल्य का निर्धारण सबसे पहले किसी प्रतिनिधिक देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर या ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात की कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए।
40. आवेदन-पत्र दायर करने के चरण में, आवेदक ने अनुरोध किया कि चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य, संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात कीमत पर आधारित होना चाहिए, जिसे निवल कारखानागत स्तर निकालने के लिए समायोजित किया गया हो। आवेदक ने इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर भारत में देय कीमत पर आधारित सामान्य मूल्य प्रस्तुत किया है।
41. बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार करने के लिए पक्षकारों द्वारा कोई सूचना/साक्ष्य नहीं दिया गया है।
42. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच अवधि के दौरान, कोपोलिमर कच्चे गोंद की आयात कीमत, कोपोलिमर यौगिक-पूर्व की आयात कीमत से अधिक है। कच्चा गोंद, कोपोलिमर यौगिक-पूर्व के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल है और इसलिए, कच्चे गोंद की आयात कीमत बाजार कीमतों को दर्शाती हुई प्रतीत नहीं होती।
43. प्राधिकारी ने भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। सामान्य मूल्य का निर्धारण घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक तथा उचित लाभ मार्जिन शामिल है, के आधार पर किया गया है।

ख. निर्यात कीमत

- i. चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड

44. उत्पादक ने जाँच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में [***] एमटी सूचित किया है। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने भारत को सीधे उत्पाद का निर्यात किया है और विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में कोई अन्य संबद्ध/असंबद्ध पक्षकार शामिल नहीं है। उत्पादक ने कारखानागत निर्यात कीमत निकालने के लिए निर्यात कीमत में विभिन्न समायोजनों की सूचना दी है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।
- ii. केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड
45. उत्पादक ने जाँच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में [***] एमटी सूचित किया है। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने अपनी संबद्ध कंपनी मेसर्स केमर्स केमिकल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड के माध्यम से भारत को उत्पाद का निर्यात किया है, जिसने फिर (क) टोक्यो ज़ैर्यो कंपनी लिमिटेड जापान के माध्यम से निर्यात किया है अथवा (ख) असंबद्ध आयातक टोक्यो ज़ैर्यो कंपनी लिमिटेड को निर्यात किया है। इन सभी कंपनियों ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।
46. उत्पादक ने कहा है कि यह केमर्स केमिकल्स समूह और झोंगहाओ चेंगुआंग (एक प्रतिभागी उत्पादक) के बीच 50:50 का संयुक्त उद्यम है। सीसीएफ ने दावा किया है कि उसने पहली बार भाग लिया है और पिछली जाँचों के दौरान उसने उत्पाद का निर्यात नहीं किया था। सीसीएफ ने अनुरोध किया है कि या तो उसे एक अलग शुल्क दिया जाए या झोंगहाओ चेंगुआंग पर लागू शुल्क उत्पादक पर भी लागू किया जाए। आवेदक और झोंगहाओ चेंगुआंग ने इस पर विवाद किया है और दावा किया है कि केवल संबंध का होना ही पर्याप्त नहीं है। झोंगहाओ ने यह भी अनुरोध किया है कि दोनों कंपनियाँ स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं और एक-दूसरे के प्रचालनों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। प्रत्येक कंपनी अपने वाणिज्यिक निर्णय स्वयं लेती है और अपने निर्यात का प्रबंधन स्वयं करती है। यह सिद्ध परिपाटी है कि संबंधित निर्यातकों को समान दर तब तक नहीं दी जाती जब तक कि वे एक ही आर्थिक कंपनी का हिस्सा न हों या समान नियंत्रण में न हों, जो वर्तमान जाँच में नहीं हैं।
47. प्राधिकारी ने किए गए अनुरोधों की जाँच की है। वर्तमान मामले में, इस बात पर विवाद नहीं किया गया है कि दोनों कंपनियों के स्वतंत्र प्रचालन हैं। इसके विपरीत, झोंगहाओ चेंगुआंग ने इस संबंध पर विवाद किया है और दावा किया है कि वे एक ही समूह का हिस्सा नहीं हैं। दोनों कंपनियाँ अलग-अलग कार्य करती हैं और एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं, और कीमत निर्धारण, निर्यात या उत्पादन में कोई समन्वय नहीं है।
48. इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।
- iii. डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कंपनी लिमिटेड
49. उत्पादक ने जाँच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में [***] एमटी सूचित किया है। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने भारत को सीधे उत्पाद का निर्यात किया है और विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में कोई अन्य संबद्ध/असंबद्ध पक्षकार

शामिल नहीं है। उत्पादक ने निर्यात कीमत में विभिन्न समायोजनों की सूचना दी है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।

iv. सिचुआन डोहोन न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड

50. उत्पादक ने जाँच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में [***] एमटी सूचित किया है। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने अपने संबद्ध निर्यातक - डोहोन इंटरनेशनल के माध्यम से निर्यात किया है। उत्पादक और निर्यातक ने निर्यात कीमत में विभिन्न समायोजनों की सूचना दी है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है।

v. झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड

51. उत्पादक ने जाँच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में [***] एमटी सूचित किया है। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने भारत को सीधे उत्पाद का निर्यात किया है और विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में कोई अन्य संबद्ध/असंबद्ध पक्षकार शामिल नहीं है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।

vi. कोई अन्य

52. चीन के अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

53. उपरोक्त के आधार पर, पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है और नीचे दर्शाया गया है।

54. यह देखा गया है कि डंपिंग मार्जिन चेंगुआंग फ्लोरो और सिलिकॉन इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड और सिचुआन डोहोन न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड के लिए सकारात्मक है, लेकिन अन्य के लिए नकारात्मक है।

क्र.सं.	विवरण	सामान्य मूल्य	निवल निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
1	चेंगुआंग फ्लोरो और सिलिकॉन इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	20-30%
2	सिचुआन डोहोन न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	30-40%
3	झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल	***	***	***	नकारात्मक

	इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड				
4	डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कंपनी,	***	***	***	नकारात्मक
5	केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	नकारात्मक
6	अन्य	***	***	***	40-50%

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन तथा क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना।

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

55. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. जाँच की अवधि में वृद्धि दर में काफी हद तक गिरावट आई है।
- ख. बिक्री के लिए घरेलू उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है, जबकि कुल माँग में कमी आई है।
- ग. संबद्ध आयातों का आयात मूल्य संबद्ध सामानों की कुल माँग के अनुरूप रहा है।
- घ. जाँच की अवधि में आवेदक के लाभ में काफी वृद्धि हुई है, जबकि माँग में कमी आई है।
- ङ. पाटनरोधी शुल्क चार वर्षों से अधिक समय से लागू है; आवेदक ने अपनी बाजार स्थिति को पहले ही उस सीमा तक समेकित और सुदृढ़ कर लिया है, जहाँ तक वह संबद्ध सामानों की भारतीय माँग को पूरा कर सकता है।
- च. इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में, सेस्टैट ने माना कि 'अधिशेष उत्पादन क्षमता की मौजूदगी क्षति के स्पष्ट रूप से पूर्वानुमानित और आसन्न खतरे के रूप में नहीं ली जा सकती।'
- छ. केवल क्षमता विस्तार के तर्क का आरोप पाटन की संभावना को सिद्ध नहीं करता।
- ज. जापान से आने वाले संक्षारण-रोधी कार्बन स्टील फ्लैट उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्कों की अमेरिकी निर्णायक समीक्षा में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) पैनल ने कहा कि अनुच्छेद 11.3 के तहत संभाव्यता निर्धारण के संबंध में निकाले गए किसी भी निष्कर्ष को सकारात्मक रूप से और प्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध किया जाना चाहिए।

झ. क्षति की संभावना के बारे में आवेदक के दावे प्रमाणित नहीं हैं। आवेदक ने क्षति की संभावना का कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

ज. केवल किसी एक उत्पादक का क्षमता विस्तार ही संभावना का आधार नहीं हो सकता।

छ.2. आवेदक के अनुरोध

56. आवेदक ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. आयात की मात्रा में इस अवधि के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह जाँच अवधि में सबसे अधिक थी। वास्तव में, शुल्क लगाए जाने के बाद से, संबद्ध देश से आयात में 158% की वृद्धि हुई है।

ख. संबद्ध आयातों ने आवेदक का बाजार हिस्सा छीन लिया है और भारत में खपत के सापेक्ष इसमें वृद्धि हुई है।

ग. डाइकेन के संबंध में कीमत कटौती नकारात्मक है, जबकि अन्य चीनी उत्पादकों के संबंध में कीमत कटौती सकारात्मक है।

घ. वर्तमान क्षति अवधि के दौरान, आवेदक ने जोल्वा में 3,600 एमटी क्षमता वाला एक नया संयंत्र स्थापित किया है। परिणामस्वरूप, क्षति अवधि के दौरान आवेदक की क्षमता और उत्पादन में वृद्धि हुई है, जबकि क्षमता उपयोग में कमी आई है।

ङ. आवेदक की घरेलू बिक्री में भी वृद्धि हुई है, लेकिन क्षमता और घरेलू बिक्री में वृद्धि के बावजूद, संबद्ध देश से आयातों ने बाजार हिस्सेदारी के लगभग एक तिहाई हिस्से पर कब्जा कर लिया है।

च. जांच अवधि में आवेदक की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। अपनी क्षमता और उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद, आवेदक का देश में बाजार हिस्से के आधे से कम का हिस्सा है।

छ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता 2022-23 में सुधरी और फिर 2023-24 में घटी और उसके बाद जांच अवधि में बढ़ी। नकद लाभ में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई है। आवेदक के निवेश पर आय 2022-23 के बाद काफी कम हो गई है।

ज. लागू शुल्कों के कारण, आवेदक ने अपने आर्थिक मापदंडों में वृद्धि देखी है। तथापि, फिर भी, हाल के वर्षों में इसकी लाभप्रदता कम रही है।

झ. सूचना दर्शाती है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी बना हुआ है। निरंतर पाटन का तथ्य अकाट्य रूप से दर्शाता है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में निरंतर और गंभीर पाटन की संभावना है।

ज. आवेदक ने वर्तमान जांच में निरंतर क्षति का दावा नहीं किया है। प्राधिकारी को यह जांचना आवश्यक है कि क्या शुल्क समाप्त होने की स्थिति में, आयात की संभावित मात्रा और कीमत तथा घरेलू उत्पादकों पर उसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, क्षति के बार-बार होने की संभावना है।

- ट. आयात की मात्रा में इस अवधि के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह जांच की अवधि में सबसे अधिक थी। शुल्क लगाए जाने के बाद से, संबद्ध देश से आयात में 158% की वृद्धि हुई है।
- ठ. भारत निर्यातकों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है और यदि शुल्क हटा दिए जाते हैं, तो चीनी निर्यातक भारतीय बाजार में बाढ़ ला देंगे।
- ड. डाइकेन और अन्य चीनी उत्पादकों द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में अलग से कीमत कटौती निर्धारित की जानी चाहिए, क्योंकि डाइकेन के संबंध में कीमत कटौती नकारात्मक है, जबकि अन्य चीनी उत्पादकों के संबंध में कीमत कटौती सकारात्मक है।
- ढ. आवेदक की क्षमता और उत्पादन में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, जबकि आवेदक द्वारा नया संयंत्र स्थापित करने के कारण क्षमता उपयोग में कमी आई है।
- ण. यद्यपि घरेलू बिक्री में क्षमता और घरेलू बिक्री में वृद्धि के बावजूद संबद्ध देश से आयातों ने बाजार हिस्से का लगभग एक-तिहाई हिस्सा ले लिया है।
- त. आवेदक देश में एकमात्र उत्पादक है और उसके पास देश की संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। जांच अवधि में आवेदक की बाजार हिस्सेदारी काफी कम रही।
- थ. जांच की अवधि में आवेदक की अंतिम मालसूची सबसे अधिक थी।
- द. उत्पादन और बिक्री के दिनों की संख्या के रूप में औसत मालसूची भी क्षति अवधि में बढ़ी है और जांच अवधि में सबसे अधिक थी।
- ध. चूंकि आवेदक ने एक नया संयंत्र स्थापित किया है, इसलिए कर्मचारियों की संख्या, वेतन और उत्पादकता में वृद्धि देखी गई है।
- न. आवेदक की लाभप्रदता और नकद लाभ 2022-23 में सुधरे और फिर 2023-24 में घटे और उसके बाद जांच की अवधि में बढ़े।
- प. आवेदक के निवेश पर आय 2022-23 के बाद काफी कम हो गई है।
- फ. पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम है बल्कि काफी है।
- ब. निरंतर पाटन का तथ्य दर्शाता है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में निरंतर और गंभीर पाटन की संभावना है।
- भ. यह तथ्य कि आयात वर्ष भर में बढ़ा है और जांच अवधि में सबसे अधिक था, यह दर्शाता है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में आयात की मात्रा में और वृद्धि होने की संभावना है।
- म. संबद्ध सामानों के सबसे बड़े वैश्विक उत्पादकों में से एक, सोल्वे ने एफकेएम के लिए अपनी क्षमता बढ़ा दी है।
- य. चीनी उत्पादक निर्यातोन्मुखी हैं और एफकेएम का अधिकांश निर्यात भारत, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका को लक्षित है।

- कक. चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन पॉलीमर कंपनी लिमिटेड, अपने वार्षिक उत्पादन का 80-90% निर्यात करती है और कंपनी द्वारा किए गए निर्यात का 16% भारत को किया जाता है।
- खख. चीन दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोरोरबर उत्पादक है। चीन की फ्लोरोरबर उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 30,300 टन तक पहुँच जाएगी और यह विश्व की कुल फ्लोरोरबर उत्पादन क्षमता का लगभग 46.62% है।
- गग. चीन में फ्लोरोरबर उद्योग की क्षमता भारत की माँग से कहीं अधिक है।
- घघ. जांच की अवधि के दौरान, एशिया में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन 22,351 एमटी था और पिछले पांच वर्षों में लगातार बढ़ा है और अगले तीन वर्षों में ऐसा होना जारी रहेगा। एशिया प्रशांत फ्लोरोपॉलिमर बाजार में चीन की हिस्सेदारी 2027 में 61% होगी।
- डड. महत्वपूर्ण निर्यात योग्य क्षमताओं को रखने के अलावा, संबद्ध देश में उत्पादक महत्वपूर्ण बेकार क्षमताओं से भी पीड़ित थे।
- चच. संयुक्त राज्य अमेरिका चीनी उत्पादकों के लिए सबसे बड़े निर्यात बाजारों में से एक है, लेकिन सीमा शुल्क में हाल ही में वृद्धि के साथ, यह संभावना है कि चीनी निर्यातक अपना निर्यात बाजार अमेरिका से भारत की ओर ले जाएंगे।
- छछ. उत्पाद का उत्पादन पहले कच्चे गोंद के रूप में किया जाता है जिसे कुछ योजकों को मिलाकर और उत्पाद को आगे संसाधित करके यौगिक-पूर्व में प्रसंस्कृत किया जाता है। यौगिक-पूर्व की आयात कीमत कच्चे गोंद की आयात कीमत से कम है।
- जज. आवेदक ने वैश्विक फ्लोरोपॉलिमर बाजार को दिखाने के लिए एक तृतीय-पक्ष रिपोर्ट (एस्ट्यूट एनालिटिका द्वारा) प्रदान की है। रिपोर्ट दर्शाती है कि चीन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विचाराधीन उत्पाद का एक प्रमुख उत्पादक है।
- झझ. विचाराधीन उत्पाद का भारत और चीन में कोई समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण नहीं है। आयात मुख्यतः एचएस कोड 39046910 और 39046990 में हुआ है। चूँकि आवेदक के पास लेन-देन-वार आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए वह क्षति की संभावना के उद्देश्य से चीन के पीसीएन-वार निर्यात कीमत की अन्य देशों से तुलना करने की स्थिति में नहीं है।
- ञञ. इस अनुरोध के संबंध में कि माँग में गिरावट आई है और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है, उत्तरदाता ने गलत तथ्य दिए हैं। विचाराधीन उत्पाद की माँग में वृद्धि हुई है।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

57. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में “..... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए” घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते

हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में हास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

58. प्राधिकारी ने आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों को ध्यान में रखते हुए उनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों को यथा-तथ्यतः हल करता है।
59. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि आवेदक से जाँच अवधि के बाद के आँकड़े उपलब्ध कराने के लिए कहा जाना चाहिए। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकार ने कोई उचित कारण नहीं बताया है कि जाँच अवधि के बाद के आँकड़ों पर विचार क्यों किया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने जाँच अवधि के बाद के आँकड़ों की जाँच करना उचित नहीं समझा।
60. चीन से भाग लेने वाले उत्पादक द्वारा सूचित आयात आँकड़े डीजी सिस्टम के लेन-देन-वार आँकड़ों से अधिक हैं। प्राधिकारी ने 39045090, 39046910, 39046990 और 39049000 के लेन-देन-वार आयात आँकड़े माँगे थे। हालाँकि, आयात आँकड़ों में केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड (सीसीएफ) शामिल नहीं है। नीचे दी गई तालिका सीसीएफ द्वारा सूचित निर्यात मात्रा दर्शाती है।

विवरण	सीवाई 2021	सीवाई 2022	सीवाई 2023	जांच की अवधि (सीवाई 2024)
(ख) निर्यात बिक्री-भारत प्रवृत्ति	***	***	***	***

61. चीन से आयात की मात्रा का पता लगाने के लिए, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार आयात आंकड़ों और सीसीएफ द्वारा रिपोर्ट की गई आयात मात्रा पर विचार किया है। सीसीएफ ने जांच अवधि से पहले के आंकड़ों को कैलेंडर वर्ष प्रारूप में सूचित किया है, जो प्राधिकारी द्वारा मानी गई लेखांकन अवधि से भिन्न है। अतः, प्राधिकारी ने

केवल जांच अवधि के लिए ही यह पद्धति अपनाई है। पिछले वर्षों में आयात की मात्रा भी कम रही है।

क्र.सं.	विवरण	जांच की अवधि
1	डीजी सिस्टम (एमटी) के अनुसार आयात	***
2	उत्पादक के अनुसार आयात	***
3	कुल आयात	608

62. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच करने से पहले आवेदक को हुई वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच की है।

छ.3.1 पाटित आयातों पर मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग/खपत का आकलन

63. मांग या प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण आवेदक की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में किया गया है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
1	आवेदक की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	184	193
3	संबद्ध आयात	एमटी	217	303	450	608
	<i>अनुचित आयात</i>	एमटी				393
4	अन्य आयात	एमटी	548	559	590	574
5	खपत	एमटी	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	157	171

64. यह देखा गया है कि संबद्ध उत्पाद की मांग पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है और जाँच की अवधि में यह सबसे अधिक थी।

ख. निरपेक्ष और सापेक्ष रूप में आयात

65. क्षति अवधि और जाँच की अवधि में निरपेक्ष और सापेक्ष रूप में आयात की मात्रा की सूचना नीचे दी गई है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
1	संबद्ध आयात	एमटी	217	303	450	608

2	निम्नलिखित के संबंध में संबंध आयात					
क	उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	58	111	98
ख	खपत	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	132	164
ग	कुल आयात	%	28%	35%	43%	51%

66. यह देखा जाता है कि:

- क. क्षति की अवधि के दौरान आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है और जाँच की अवधि में यह सबसे अधिक थी।
- ख. उत्पादन के संबंध में आयात 2022-23 में घट गया, 2023-24 में बढ़ा लेकिन जाँच की अवधि में फिर से घट गया।
- ग. भारत में खपत के संदर्भ में संबंध आयातों में वृद्धि का रुझान देखा गया है। खपत के संबंध में आयात जाँच अवधि में सबसे अधिक है।
- घ. देश में कुल आयातों के संबंध में संबंध आयातों में क्षति की अवधि के दौरान लगातार वृद्धि देखी गई है।

ज.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

67. नियमावली के अनुबंध II (ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में उल्लेखनीय कमी आई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में उल्लेखनीय कमी लाना या कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा काफी हद तक हो जाती।

क. कीमत कटौती

68. आवेदक की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना आयातों की पहुँच कीमत से करके कीमत कटौती का निर्धारण किया गया है। यह तुलना पीसीएन-वार आधार पर की गई है। नीचे दी गई तालिका संबंध देश से कीमत कटौती को दर्शाती है।

क्र.सं.	पीसीएन	आयात मात्रा	बिक्री कीमत	पहुँच कीमत	कीमत कटौती	
		एमटी	रु./किग्रा.	रु./किग्रा.	रु./किग्रा.	%
1	एफसीपी#आरजी0001	***	***	1,215	***	30-40%
2	एफटीपीबीआरजी0002	-	-	-	***	0%
3	एफटीपीपीआरजी0003	***	***	3,522	***	नकारात्मक
4	एफसीपी#पीसी0004	***	***	1,283	***	नकारात्मक
5	एफसीपी#पीसी0005	***	***	2,059	***	नकारात्मक

6	कुल	***	***	1,957	***	नकारात्मक
---	-----	-----	-----	-------	-----	-----------

69. कीमत कटौती समग्र आधार पर नकारात्मक है। को-पॉलिमर कच्चा गोंद (एफसीपी#आरजी0001) और टरपोलाइमर बिस-फिनोल क्यूरेबल प्री-कंपाउंड (एफसीपी#पीसी0005) के लिए कटौती सकारात्मक है।
70. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि चूँकि प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा सूचित आयातों की मात्रा डीजी सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार आयातों की मात्रा से अधिक है, इसलिए इस पद्धति के आधार पर कीमत कटौती का विश्लेषण करना उचित समझा गया है। प्राधिकारी ने प्रतिभागी उत्पादकों और निर्यातकों के आंकड़ों के आधार पर कीमत कटौती का निर्धारण किया है, जो नीचे दर्शाया गया है।

क्र.सं.	विवरण	आयात मात्रा	निवल बिक्री कीमत	पहुंच कीमत	कीमत कटौती	
		एमटी	रु./किग्रा.	रु./किग्रा.	रु./किग्रा.	%
1	चेंगुआंग फ्लोरो और सिलिकॉन इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	40-50%
2	सिचुआन डोहोन न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30%
3	झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	45-55%
4	डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कंपनी,	***	***	***	***	नकारात्मक
5	केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	नकारात्मक
6	कुल	572	***	2,164	***	नकारात्मक

71. यह देखा जाता है कि कीमत कटौती, डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कंपनी और केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड के लिए नकारात्मक है, जबकि अन्य सभी उत्पादकों के लिए यह उल्लेखनीय रूप से सकारात्मक है।

ख. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

72. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी मात्रा तक कम करना है या कीमत वृद्धि

को रोकना है, जो अन्यथा सामान्य रूप से होती, क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तनों की तुलना नीचे दी गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच की अवधि
1	बिक्री लागत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	110	90
3	बिक्री कीमत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	137	100	91

73. यह देखा जाता है कि:

- क. आवेदक की बिक्री लागत और बिक्री कीमत 2022-23 में बढ़ी, लेकिन 2023-24 में घटी और जाँच की अवधि में और भी कम हुई।
- ख. आवेदक क्षति की अवधि के दौरान लाभप्रद कीमतों पर बिक्री करने में सक्षम रहा है।
- ग. जाँच की अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों पर आयातों का कोई न्यूनीकरण या हासमान प्रभाव नहीं था।
- घ. आवेदक ने उल्लेख किया है कि लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण उसे निरंतर क्षति नहीं हुई है। आवेदक पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में वास्तविक क्षति के बार-बार हाने की संभावना का दावा कर रहा है।

ज.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर प्रभाव

74. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि उन उत्पादों के घरेलू उत्पादों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जाँच क्षति के निर्धारण में शामिल होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच में सभी संगत आर्थिक कारकों का उद्देश्यपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा और उन तत्वों का मूल्यांकन शामिल होगा जिनका बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता के उपयोग सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता में वास्तविक और संभावित गिरावट सहित सभी तत्व शामिल होंगे। आवेदक से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

75. क्षति अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री की सूचना इस प्रकार है। प्री-कंपाउंड के उत्पादन के लिए कच्चे गोंद का उपयोग किया जाता है। प्राधिकारी ने कच्चे गोंद के स्तर पर क्षमता और क्षमता उपयोग पर विचार किया है, जो नीचे दर्शाया गया है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
1	कच्चे गोंद की संस्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	360	320	320
3	क्षमता उपयोग के उद्देश्य से कच्चे गोंद का कुल उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	241	175	261
5	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	67	55	82

76. नीचे दी गई तालिका आवेदक के कुल उत्पादन, घरेलू और निर्यात बिक्री को दर्शाती है। बिक्री योग्य कच्चे गोंद के उत्पादन की गणना, विचाराधीन अन्य उत्पाद के उत्पादन में अंतरित कच्चे गोंद से उत्पादित कुल कच्चे गोंद को घटाकर की गई है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
1	बिक्री योग्य कच्चे गोंद का उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
2	प्री-कंपाउंड और अन्य टेरपोलाइमर का उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
3	विचाराधीन उत्पाद का कुल बिक्री योग्य उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	240	188	287
5	घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	184	193
7	निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	255	162	245

77. यह नोट किया जाता है कि:

- क. आवेदक ने क्षति की अवधि के दौरान 3,600 एमटी क्षमता वाला एक नया संयंत्र स्थापित किया है।
- ख. क्षति की अवधि के दौरान आवेदक का उत्पादन बढ़ा है, जबकि क्षमता उपयोग में कमी देखी गई है।

ग. क्षति की अवधि के दौरान आवेदक की घरेलू बिक्री और निर्यात बिक्री दोनों में वृद्धि हुई है।

78. इस प्रकार यह देखा जाता है कि उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है। तथापि, घरेलू उद्योग निष्क्रिय क्षमताओं के साथ प्रचालन कर रहा है और वर्तमान में आयात मांग में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी को पूरा करता है।

ख. बाजार हिस्सा

79. क्षति अवधि के दौरान आयात और घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी की सूचना इस प्रकार थी:

क्र.सं.	बाजार हिस्सा	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	117	113
3	संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	132	164
5	अन्य आयात	%	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	68	61

80. यह देखा जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। चीन से संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी भी क्षति अवधि के दौरान बढ़ी है। अपनी क्षमता और उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद, आवेदक देश की केवल आधी मांग को ही पूरा कर पाता है, जिससे उसकी सुवेद्यता दर्शाता है।

ग. मालसूची

81. मालसूची संबंधी सूचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
1	आरंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	59	195	185
3	अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	330	265	481
5	औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	160	221	295

82. यह देखा जाता है कि क्षति अवधि के दौरान औसत मालसूची में लगातार वृद्धि हुई है। जांच की अवधि में अंतिम मालसूची, क्षति अवधि की तुलना में सबसे अधिक थी।

घ. लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय

83. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ संबंधी सूचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
1	लाभ/(हानि)	रु./किग्रा.	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	215	65	93
3	लाभ/(हानि)	लाख रु.	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	247	121	180
5	नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	243	130	188
7	पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	240	127	175
9	निवेश पर आय	%	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	147	29	49

84. यह देखा जाता है कि:

क. 2022-23 में लाभप्रदता में वृद्धि हुई, लेकिन 2023-24 में इसमें गिरावट आई। हालाँकि जाँच की अवधि में लाभप्रदता में फिर से वृद्धि हुई है, लेकिन यह 2021-22 और 2022-23 की तुलना में कम है।

ख. नकद लाभ और ब्याज एवं कर-पूर्व लाभ में लाभ के समान ही प्रवृत्ति रही है।

ग. जाँच की अवधि में नियोजित पूँजी पर आय क्षति अवधि की शुरुआत से आधे से भी अधिक कम हो गई है।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

85. क्षति अवधि के दौरान रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता संबंधी सूचना निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	209	209	209
3	वेतन और मजदूरी	रु./लाख	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	91	335
5	प्रति दिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	225	170	253
7	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/संख्या	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	82	121

86. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या, मजदूरी और उत्पादकता में सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि के साथ, कर्मचारियों की संख्या और प्रदत्त मजदूरी में भी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि रोजगार और मजदूरी घरेलू उद्योग पर पाटन के प्रतिकूल प्रभावों नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि ये कारक कंपनी के समग्र संचालन और अर्थव्यवस्था द्वारा नियंत्रित होते हैं।

च. वृद्धि

87. वृद्धि संबंधी सूचना नीचे दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2022-23	2023-24	जाँच की अवधि
1	उत्पादन	%	(33)	(18)	49
2	घरेलू बिक्री	%	15	61	5
3	लाभ/हानि	%	(33)	(18)	49
4	नकद लाभ	%	115	(70)	43
5	मालसूची	%	47	(80)	66
6	नियोजित पूंजी पर आय	%	60	38	34

88. यह देखा जाता है कि जाँच की अवधि में अधिकांश कारकों में वृद्धि सकारात्मक रही है। घरेलू उद्योग द्वारा यह कहा गया है कि शुल्कों ने घरेलू उद्योग को वृद्धि करने में सहायता की है।

छ. पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता

89. घरेलू उद्योग मूल और निर्णायक समीक्षा जाँच में घाटे में था। प्रथम अंतिम समीक्षा में उपायों में वृद्धि के बाद घरेलू उद्योग ने लाभ दर्ज किया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षमता वृद्धि करने का अवसर मिला है। अतः, शुल्क लगाने से अब घरेलू उद्योग को अपनी क्षमताएँ बढ़ाने का अवसर मिला है।

ज. पाटन मार्जिन

90. यह देखा जाता है कि चीन जन.गण. से भारत में संबद्ध सामानों का पाटन जारी है, और पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है और कुछ प्रतिभागी उत्पादकों के लिए काफी है।

झ. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

91. यह देखा जाता है कि शुल्कों ने आवेदक को वृद्धि करने में सहायता की है। घरेलू उद्योग ने संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान लाभ अर्जित किया है। घरेलू उद्योग की कीमतें किसी अन्य कारक से प्रभावित नहीं हुई हैं।

ज. पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना

92. वर्तमान जाँच चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लगाए गए शुल्कों की एक निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के अंतर्गत, प्राधिकारी को यह निर्धारित करना

आवश्यक है कि क्या मौजूदा शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग के लिए पाटन और क्षति जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है।

93. प्राधिकारी ने नियम 23 की धारा 9क(5) के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं और नियमावली के अनुबंध-II(vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में लाए गए अन्य संगत कारकों पर विचार करते हुए पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना की जाँच की है।
94. ऐसा संभावित विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धतियाँ उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, नियमावली के अनुबंध II के खंड (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ उन कारकों का प्रावधान है जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है, जैसे:

- क. भारत में पाटित आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि दर, जो आयात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाती है।
- ख. निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से प्रयोज्य, या आसन्न, पर्याप्त वृद्धि, जो भारतीय बाजारों में पाटित निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाती है, किसी भी अतिरिक्त निर्यात को अवशोषित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए।
- ग. क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर महत्वपूर्ण रूप से न्यूनीकरण अथवा हासमान प्रभाव पड़ेगा और आगे आयात की मांग में वृद्धि होने की संभावना होगी; और
- घ. वस्तु की मालसूची की जाँच की जा रही है।

95. प्राधिकारी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित करने के लिए उपरोक्त आवश्यकताओं और निम्नलिखित मानदंडों पर विचार किया है कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है, और यदि ऐसा है, तो क्या इससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में लाई गई सभी संगत सूचनाओं की जाँच की है।

क. चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं का निरंतर पाटन

96. नीचे दी गई तालिका मूल, प्रथम निर्णायक और वर्तमान जाँच (प्रतिभागी उत्पादकों के लिए) में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन को दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	पाटन मार्जिन %
1	मूल जांच	20-30% to 40-50%
2	प्रथम निर्णायक समीक्षा	0-20% to 20-40%

3	वर्तमान निर्णायक समीक्षा	नकारात्मक और 20-50%
---	--------------------------	---------------------

97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. से पाटन जारी है। निरंतर पाटन यह दर्शाता है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन जारी रहने और बढ़ने की संभावना है क्योंकि पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी बना हुआ है।

ख. संबद्ध सामानों के आयात में वृद्धि

98. नीचे दी गई तालिका क्षति की अवधि में आयात मात्रा दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
1	चीन से कुल आयात	एमटी	217	303	450	608

99. यह देखा जाता है कि संबद्ध सामानों के आयात में क्षति अवधि के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है और जाँच की अवधि में यह सबसे अधिक थी। पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद पाटित आयातों में वृद्धि, उपायों की समाप्ति की स्थिति में आयातों में और वृद्धि की संभावना दर्शाती है।

ग. तृतीय देश के पाटन और तृतीय देश से क्षतिकारक आयात

100. प्राधिकारी ने प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा प्रदान की गई तृतीय देशों को निर्यात के संबंध में सूचना की जाँच की है। नीचे दिए गए विश्लेषण के प्रयोजनार्थ संबद्ध कंपनियों को किए गए निर्यातों पर विचार नहीं किया गया है।

क्र.सं.	विवरण	कुल निर्यात एमटी	भारत में कीमत से कम निर्यात एमटी	पाटित कीमतों पर निर्यात एमटी	क्षतिकारक कीमत पर निर्यात एमटी
1	चेंगुआंग फ्लोरो और सिलिकॉन इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***
2	सिचुआन डोहोन न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***
3	झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***
4	डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कंपनी,	***	***	***	***

5	केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***
6	भाग लेने वालों की कुल संख्या	1,167	1,338	631	990

101. उपरोक्त के आधार पर, यह देखा जाता है कि

- क. सभी प्रतिभागी उत्पादकों के लिए अन्य देशों को किए जाने वाले अधिकतर निर्यातों की कीमतें भारत में कीमतों से कम हैं, जो यह सिद्ध करता है कि भारतीय बाजार में कीमतें आकर्षक हैं और इसलिए, भारतीय बाजार इन उत्पादकों के लिए एक आकर्षक बाजार है।
- ख. चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड, सिचुआन डोहोन न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड और केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड के मामले में, तीसरे देशों को किए जाने वाले निर्यात का बड़ा हिस्सा पाटित कीमतों पर है।
- ग. चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड, सिचुआन डोहोन न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड और झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड के मामले में, तीसरे देशों को किए जाने वाले अधिकांश निर्यात पाटित कीमतों पर हैं। तथापि, डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कंपनी के मामले में, प्राधिकारी ने पाया है कि तीसरे देशों को निर्यात क्षतिकारक कीमतों पर नहीं हैं।
- घ. भाग लेने वाली कंपनियों से तीसरे देशों को सामान्य मूल्य से कम कीमत, भारत में बिक्री मूल्य और घरेलू उद्योग के लिए गैर-हानिकारक मूल्य पर निर्यात की संचयी मात्रा कुल आयात, घरेलू उद्योग के उत्पादन और भारत में खपत के संबंध में काफी महत्वपूर्ण है।

घ. चीनी उत्पादक निर्यातोन्मुख हैं

102. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीनी उत्पादक निर्यातोन्मुख हैं क्योंकि चीन संबद्ध सामानों के शीर्ष तीन निर्यातकों में से एक है और एफकेएम के अधिकांश निर्यात भारत, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका को लक्षित हैं। आवेदक ने यह दर्शाने के लिए साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं कि चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन पॉलीमर कंपनी लिमिटेड अपने वार्षिक उत्पादन का 80-90% निर्यात करती है और कंपनी द्वारा किए गए निर्यात का ***% भारत को किया गया है।

103. प्राधिकारी ने प्रतिभागी निर्यातकों के आंकड़ों की जांच की है। नीचे दी गई तालिका उत्पादकों की निर्यात मात्रा और उत्पादन दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	एमटी में उत्पादन	एमटी में निर्यात			% में निर्यातोन्मुख
			भारत	आरओडब्ल्यू	कुल	

1	चेंगुआंग फ्लोरो और सिलिकॉन इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	45-55%
2	सिचुआन डोहोन न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	5-15%
3	झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	25-35%
4	डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कंपनी,	***	***	***	***	45-55%
5	केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमैटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-35%
6	भाग लेने वालों की कुल संख्या	10,064	596	2522	3117	31%

104. कुछ प्रतिभागी उत्पादकों ने अपने उत्पादन के प्रतिशत के रूप में उल्लेखनीय उच्च निर्यात की सूचना दी है। इससे पता चलता है कि उत्पादन का बड़ा हिस्सा निर्यात बाजार के लिए है, जो उपायों की समाप्ति की स्थिति में आयात में वृद्धि की संभावना को दर्शाता है।

ड. संबद्ध देशों के उत्पादकों के लिए भारतीय बाजार का महत्व

105. आवेदक ने दावा किया था कि भारतीय बाजार संबद्ध देशों के उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में प्रतिभागी उत्पादकों के कुल निर्यात में भारतीय निर्यातकों के हिस्से की तुलना की है।

क्र.सं.	विवरण	भारत को निर्यात	कुल निर्यात	भारतीय निर्यातों का हिस्सा
1	चेंगुआंग फ्लोरो और सिलिकॉन इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड	***	***	25-35%
2	सिचुआन डोहोन न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	30-40%
3	झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	***	***	10-20%
4	डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कंपनी,	***	***	10-20%

5	केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड	***	***	10-20%
6	भाग लेने वालों का कुल योग	***	***	10-20%
7	संबद्ध कंपनियों को घटाकर निर्यात	***	***	
8	असंबद्ध कंपनियों को निवल निर्यात	596	2062	29%

106. प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा सूचित किए गए कुल आंकड़ों के आधार पर, यह देखा जाता है कि लगभग 20% निर्यात भारत को होता है। यह भी देखा जाता है कि डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कंपनी के मामले में, अन्य देशों को लगभग ***% निर्यात संबद्ध कंपनी को होता है। इसी प्रकार, केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड के मामले में, ***% निर्यात संबद्ध कंपनी को होता है। यदि असंबद्ध कंपनियों को किए गए निर्यात को छोड़ दिया जाए, तो भारत को होने वाले निर्यात का हिस्सा भारत को होने वाले कुल निर्यात का 29% है।

च. चीनी उत्पादकों द्वारा धारित काफी क्षमताएँ

107. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन में उत्पादक उच्च क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। प्राधिकारी ने प्रतिभागी निर्यातकों के आंकड़ों की जाँच की है। नीचे दी गई तालिका उत्पादकों की क्षमता, उत्पादन और घरेलू बिक्री दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	क्षमता एमटी में	क्षमता उपयोग %	बेकार क्षमता एमटी में
1	चेंगुआंग फ्लोरो और सिलिकॉन इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***
2	सिचुआन डोहोन न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***
3	झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	***	***	***
4	डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कंपनी,	***	***	***
5	केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड	***	***	***
6	भाग लेने वालों की कुल संख्या	17,800	56.54%	7,736

108. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीनी उत्पादकों के पास पर्याप्त उत्पादन क्षमता है। यह क्षमता घरेलू माँग से अधिक है, जो निर्यात उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जा रहे उत्पादन के एक बड़े हिस्से से भी सिद्ध होता है। निर्यात के लिए पहले से ही पर्याप्त क्षमता का उपयोग किए जाने के बावजूद, प्रतिभागी चीनी निर्यातकों के पास अकेले अप्रयुक्त क्षमता है जो सकल भारतीय माँग से काफी अधिक है। अतः, चीनी उत्पादक संपूर्ण भारतीय माँग

को पूरा करने की स्थिति में हैं। बेकार क्षमताओं की मौजूदगी यह दर्शाती है कि शुल्कों के अभाव में इनका उपयोग भारत को निर्यात के लिए किए जाने की संभावना है।

109. यह पहले ही पाया जा चुका है कि भारतीय बाजार कीमत-आकर्षक है, अतः यह भी देखा जाता है कि चीन में अतिरिक्त क्षमता का उपयोग भारत में घरेलू माँग को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। चीन में क्षमता भारतीय माँग से कहीं अधिक है।

छ. अन्य क्षेत्राधिकारों द्वारा उपाय लगाना

110. आवेदक ने अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चीन का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईईईपीए) के तहत नए प्रशुल्क के आलोक में, चीन के उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका से अपना निर्यात बाजार स्थानांतरित कर सकते हैं। आवेदक ने इस तर्क के समर्थन में निम्नलिखित सूचना प्रदान की है। यह देखा जाता है कि अमेरिका को निर्यात की वर्तमान मात्रा सकल भारतीय माँग के दोगुने से भी अधिक है। इस प्रकार, यदि चीनी उत्पादकों को अमेरिकी बाजार से हाथ धोना पड़ता है (जो कि यूएसए द्वारा प्रशुल्क में वृद्धि के साथ निश्चित है), तो चीनी उत्पादकों द्वारा भारत को अपने निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है।

क्र.सं.	वर्ष	कुल निर्यात	यूएसए को निर्यात	कुल निर्यात में यूएसए को निर्यात का हिस्सा
1	2020	19,655	2,374	12%
2	2021	26,570	3,420	13%
3	2022	31,732	5,695	18%
4	2023	32,124	5,555	17%
5	2024	32,003	6,020	19%

स्रोत - आवेदन-पत्र में दिए गए प्रशुल्क कोड 390469 के लिए ट्रेडमार्क डेटा।

झ. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

111. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी को अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों के अलावा ऐसे किसी भी ज्ञात कारक की जाँच करनी आवश्यक है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं या पहुँचाने की संभावना रखते हैं, ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति को पाटित आयातों के कारण न माना जाए। यद्यपि वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच है और मूल जाँच में कारणात्मक संपर्क की पहले ही जाँच की जा चुकी है, तथापि, प्राधिकारी ने जाँच की कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाई है या पहुँचाने की संभावना है। यह जाँच की गई कि क्या नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारक घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दे सकते हैं या योगदान देने की संभावना रखते हैं।

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

112. अन्य देशों से काफी आयात हैं। ये आयात चीन से आयात कीमत की तुलना में काफी अधिक कीमत पर हैं। इस प्रकार, अन्य देशों से आयात कीमत घरेलू उद्योग को वर्तमान या संभावित क्षति का कारण नहीं हो सकता है।
- ख. मांग में संकुचन और/अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन
113. यह देखा जाता है कि संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि का रुझान रहा है। अतः, मांग में संभावित कमी घरेलू उद्योग के लिए वर्तमान या संभावित क्षति का कारण नहीं हो सकती।
- ग. व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियाँ
114. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियाँ या प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ नहीं हैं।
- घ. प्रौद्योगिकी का विकास
115. संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आवेदक ने संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए एक नया संयंत्र स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने हाल ही में अपनी क्षमताओं में काफी मात्रा वृद्धि की है।
- ड. निर्यात निष्पादन
116. यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने निर्यात निष्पादन को घरेलू निष्पादन से पृथक कर दिया है, और इस प्रकार, इस कारण कोई क्षति नहीं हुई है।
- च. अन्य उत्पादों का निष्पादन
117. आवेदक ने केवल संबद्ध सामानों के संबंध में पृथक आँकड़े उपलब्ध कराए हैं।
- छ. उत्पादकता
118. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक की उत्पादकता में वृद्धि हुई है और इस प्रकार उसे कोई क्षति नहीं हुई है।
- ज. पाटन और क्षति की संभावना पर समग्र निष्कर्ष
119. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं: -
- क्षति अवधि के दौरान आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है और जाँच अवधि में यह सर्वाधिक थी।
 - भारत में खपत के संदर्भ में संबद्ध आयातों में वृद्धि का रुझान देखा गया है।
 - समग्र आधार पर मूल्य कटौती नकारात्मक है। को-पॉलिमर रॉ गम (FCP#RG0001) और टेरपॉलिमर बिस-फिनॉल क्यूरेबल प्री-कंपाउंड (FCP#PC0005) के लिए मूल्य कटौती सकारात्मक है।
 - लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण, जाँच अवधि के दौरान आवेदक की कीमतों में कोई कमी या गिरावट नहीं आई है।
 - लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण क्षति अवधि के दौरान आवेदक की क्षमता, उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है।
 - लाभप्रदता 2022-23 में बढ़ी, लेकिन 2023-24 में घट गई और जाँच अवधि में फिर से बढ़ गई है।

- vii. आवेदक के पास संपूर्ण मांग को पूरा करने की क्षमता है, लेकिन उसका हिस्सा 50% से कम है। चीन से आयात बाजार के एक-चौथाई हिस्से की पूर्ति करता है।
- viii. तीसरे देशों के निर्यात में डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन, भारतीय बाजार की मूल्य आकर्षण क्षमता, आयात में वृद्धि की संभावना को स्पष्ट रूप से स्थापित करती है।
- ix. विषयगत देश के उत्पादकों के पास पर्याप्त निर्यात योग्य क्षमता है और उनका अधिकांश उत्पादन निर्यात बाजार के लिए है।
- x. रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि भारतीय बाजार भाग लेने वाले उत्पादकों के लिए एक आकर्षक निर्यात बाजार है।
- xi. भारतीय बाजार में कीमतें आकर्षक हैं, जिससे उत्पादकों को उपायों की समाप्ति की स्थिति में अपने निर्यात को भारतीय बाजार में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
120. लागू पाटनरोधी शुल्क के परिणामस्वरूप, आवेदक के कार्यनिष्पादन में मात्रा और मूल्य दोनों मानकों में सुधार हुआ है। अतः, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को निरंतर क्षति नहीं हुई है।
121. चीन से आयात में वृद्धि हुई है और पाटनरोधी शुल्क के अभाव में, पाटित कीमतों पर आयात और घरेलू कीमतों में कटौती से उद्योग पर प्रतिकूल मूल्य प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि शुल्क की अवधि समाप्त होने की स्थिति में, पाटन जारी रहने/पुनरावृत्ति होने और परिणामस्वरूप क्षति होने की संभावना है।
- ज. क्षति मार्जिन की मात्रा**
122. प्राधिकारी ने संशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमों में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति-रहित कीमत का निर्धारण किया है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर क्षति-रहित कीमत का निर्धारण किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना हेतु, विचाराधीन उत्पाद की पहुंच कीमत के साथ क्षति-रहित कीमत की तुलना की गई है। क्षति-रहित कीमत के निर्धारण के लिए, कच्चे माल और यूटिलिटियों के सर्वोत्तम उपयोग और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण या अनावर्ती व्यय और/या परिसंपत्तियों को उत्पादन लागत और/या क्षति-रहित कीमत से बाहर रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात्, औसत निवल अचल संपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित आय (कर-पूर्व 22%) को ब्याज, कॉर्पोरेट कर और लाभ की वसूली के लिए अनुमति दी गई है ताकि नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित क्षति रहित कीमत निकाली जा सके।

क्र.सं.	विवरण	क्षति रहित कीमत डॉ./एमटी	पहुंच कीमत डॉ./एमटी	क्षति मार्जिन डॉ./एमटी	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन %
---------	-------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------

1	चेंगुआंग फ्लोरो और सिलिकॉन इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	50-60%
2	सिचुआन डोहोन न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40%
3	झोंगहाओ चेंगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	नकारात्मक
4	डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कंपनी,	***	***	***	***	नकारात्मक
5	केमर्स चेंगुआंग फ्लोरोमेटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	नकारात्मक
6	अन्य	***	***	***	***	55%

ट. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

123. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ट.2 आवेदक के अनुरोध

124. आवेदक ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. संबद्ध सामानों का उपयोग मुख्यतः ऑटोमोटिव उद्योग में ओ-रिंग और गास्केट के निर्माण के लिए किया जाता है, जिनका उपयोग इंजन, ट्रांसमिशन, ईंधन प्रणाली और एयर कंडीशनिंग सिस्टम के निर्माण में किया जाता है।
- ख. इन निर्माताओं को कीमतों में कोई वृद्धि वहन नहीं करनी पड़ती क्योंकि ये उत्पाद आयातित नहीं होते। इन घटकों के निर्माता इनपुट की कीमतों में किसी भी वृद्धि का भार सीधे ऑटोमोटिव निर्माता पर डालते हैं।
- ग. रिफाइनरी क्षेत्र भी कच्चे तेल को विभिन्न उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए इस उत्पाद का उपयोग उपभोग्य वस्तु के रूप में करता है। चूँकि यह इस क्षेत्र में कच्चा माल भी नहीं है, इसलिए कीमतों में किसी भी वृद्धि का उद्योग पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा।

- घ. आवेदक ने देश में बढ़ती मांग को पूरा करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए क्षति अवधि के दौरान 3600 एमटी क्षमता वाला एक नया संयंत्र स्थापित किया है, जो शुल्कों के निरस्त होने पर जोखिम में है।
- ड. 2018 में मूल जाँच के समय, संबद्ध सामानों के लिए माँग-आपूर्ति में अंतर था। तथापि, शुल्कों ने आवेदक को बढ़ने का अवसर दिया है और अब कोई अंतर नहीं है।
- च. शुल्कों को जारी रखने से बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा का संरक्षण होगा और यह भुगतान संतुलन खाते के अनुकूल होने की दिशा में एक कदम होगा।
- छ. किसी भी प्रयोक्ता ने जाँच में भाग नहीं लिया है, जिससे पता चलता है कि लागू शुल्कों का प्रयोक्ता उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

- 125. प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया कि क्या सिफारिश किया गया पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण आवेदक, विदेशी उत्पादकों और प्रयोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के रिकार्ड और हितों से संबंधित सूचनाओं पर विचार किए जाने के आधार पर किया गया है।
- 126. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है ताकि वे वर्तमान समीक्षा जाँच के संबंध में संगत सूचना प्रदान कर सकें, जिसमें पाटनरोधी शुल्क का उनके प्रचालन पर संभावित प्रभाव भी शामिल है। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर परिवर्तनीयता को बदलने की क्षमता, प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, और उन कारकों के बारे में सूचना मांगी है जो पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने से उत्पन्न नई स्थिति के साथ समायोजन में तेजी ला सकते हैं या देरी कर सकते हैं।
- 127. यह नोट किया जाता है कि सामान्यतः, पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों के कारण आवेदक को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित हो सके, जो देश के सामान्य हित में है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों के जारी रहने से विचाराधीन उत्पाद के कीमत स्तर के साथ-साथ भारत में संबद्ध सामानों का उपयोग करके निर्मित अन्य निचले स्तर के उत्पादों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटनरोधी उपायों के लागू होने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों के जारी रहने से आवेदक के कार्य-निष्पादन मानदंडों में उस गिरावट को रोका जा सकेगा जो संबद्ध देश से कम कीमत वाले आयातों के परिणामस्वरूप हो सकती है और विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं के लिए विकल्पों की व्यापक उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

128. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जिसे इस समीक्षा जाँच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया था। केवल आवेदक ने ही आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दिया है। आवेदक ने आवेदक से संबंधित सूचना दी है। संबद्ध सामानों का कोई भी प्रयोक्ता प्राधिकारी के समक्ष भाग लेने के लिए आगे नहीं आया है। किसी भी प्रतिभागी पक्षकार ने लागू शुल्कों के प्रतिकूल प्रभाव का दावा या कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। साक्ष्यों का अभाव और हितबद्ध पक्षकारों का मौन निष्पक्ष व्यापार परिपाटियों को सुनिश्चित करने के लिए पाटनरोधी उपायों की आवश्यकता को पुष्ट करती है।
129. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा संयंत्र की स्थापना से पहले, भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर था। आवेदक ने संबद्ध सामानों के विनिर्माण और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संयंत्र में भारी निवेश किया है। आवेदक ने क्षति की अवधि में एक नया संयंत्र भी स्थापित किया है।
130. घरेलू उद्योग ने इस बात पर जोर दिया है कि इन शुल्कों से उपयोगकर्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डाउनस्ट्रीम उद्योग के लिए कोई बड़ी लागत नहीं हैं। इससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि लागू शुल्कों का उपयोगकर्ता उद्योग और उनके प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
131. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में संबद्ध वस्तुओं की कमी नहीं होगी। यह उल्लेखनीय है कि पाटनरोधी शुल्क आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगाता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित मूल्य पर उपलब्ध हों। इसलिए, शुल्क लगाने से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। किसी भी स्थिति में, आवेदक की क्षमता भारत में मांग से अधिक है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि देश में पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे। भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति कई अन्य देश भी कर रहे हैं।

ठ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

132. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात निम्नलिखित टिप्पणियां दायर की गई हैं:
- क. केमर्स चेंगगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड और झोंगहाओ चेंगगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल उद्योग कंपनी लिमिटेड, अपने संयुक्त उद्यम संबंध के बावजूद, स्वतंत्र कंपनियां हैं। वे अलग-अलग काम करते हैं, एक ही बाजार में मुकाबला करते हैं, और इस जांच में उन्होंने अलग-अलग उत्तर दायर किए हैं।
- ख. जांच की मौजूदा अवधि के दौरान, सोलवे स्पेशलिटी पॉलीमर्स (चांगशू) कंपनी लिमिटेड ने विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात नहीं किया है। प्रकटन विवरण में महत्वपूर्ण तथ्य नहीं दर्शाए गए हैं।
- ग. जबकि कुछ उत्पादकों के लिए क्षति का मार्जिन नकारात्मक है, कीमत कटौती सकारात्मक रहती है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद को

क्षतिरहित कीमत से अधिक कीमतों पर बेचने में सक्षम रहा है, जिससे क्षति कम हुई है।

- घ. आयात की मात्रा तय करते समय, सीसीएफ से जांच अवधि के आंकड़े पर विचार किया गया है, लेकिन पिछली क्षति की अवधि के लिए आयात की मात्रा को समायोजित नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप क्षति के विश्लेषण के लिए उपयोग की जाने वाली आयात की मात्रा में विसंगति आई है।
- ङ. प्रकटन विवरण में गलत तरीके से दर्ज किया गया है कि को-पॉलीमर रॉ गम (एफसीपी#आरजी0001) और टरपॉलीमर बिस-फिनोल क्यूरेबल प्री-कंपाउंड (एफसीपी#पीसी0005) दोनों के लिए कीमत कटौती सकारात्मक है, हालांकि, एफसीपी#पीसी0005 के लिए कीमत कटौती नकारात्मक है।
- च. पैरा 68 और पैरा 70 में आयात की मात्रा में बेमेल है।
- छ. प्राधिकारी को क्षति की संभावना का मूल्यांकन करते समय कुल आयात के बजाय पाटित आयात पर अपना विश्लेषण केंद्रित करना चाहिए क्योंकि 3 उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन नकारात्मक है।
- ज. प्राधिकारी ने पीसीएन आधार पर तीसरे देश की पाटन की जांच नहीं की है, जो निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी संख्या में पीसीएन हैं।
- झ. आवेदक जांच की अवधि के बाद के आंकड़े प्रदान करने में विफल रहा है, और प्राधिकारी पाटन के जारी रहने या शुल्क समाप्त होने पर होने वाली क्षति की संभावना को दिखाने के लिए आंकड़े का विश्लेषण करने में विफल रहे हैं।
- ञ. सीसीएफ ने मूल और पहली निर्णायक समीक्षा जांच की जांच की अवधि के दौरान निर्यात नहीं किया था और इसलिए उसे वर्तमान जांच में एक दर दी जानी चाहिए।
- ट. झोंगहाओ चैनगुआंग और सीसीएफ संबंधित पक्षकार हैं क्योंकि यह रिश्ता व्यापार सूचना सं. 9/2018 के दायरे में आता है, जो एक ऐसा रिश्ता स्थापित करता है जहां एक व्यक्ति दो कंपनियों में 5% से ज्यादा शेयर रखता है - इन दोनों कंपनियों को संबद्ध माना जाता है।
- ठ. सीसीएफ के उत्पाद घरेलू उद्योग को कभी क्षति नहीं पहुंचा सकते क्योंकि सीसीएफ की कीमतें गैर-पाटन वाली पाई गई हैं और घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारक नहीं हैं। सीसीएफ गुणवत्ता के उत्पाद बेचता है, और इसकी कीमतें भविष्य में भी घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा सकतीं।
- ड. प्राधिकारी से अनुरोध है कि जांच की अवधि के दौरान टीजेडसीएल या केमर्स शंघाई के मूल के निर्यात जांच की अवधि में भारत को होने के लिए विशेष रूप से खोजकर डीजी सिस्टम से आयात आंकड़ों का सत्यापन करे। इन कंपनियों से जुड़े आंकड़े को भारत में सीसीएफ के उत्पाद के आयात को दर्शाने वाला माना जाना चाहिए।

- ढ. आवेदक ने अपना ध्यान एक उत्पादक द्वारा क्षमता बढ़ाने पर रखा है, लेकिन वे अधिशेष क्षमता सिद्ध करने के लिए कोई ठोस आंकड़े देने में विफल रहे हैं।

ठ.2. आवेदक का अनुरोध

133. आवेदक ने निम्नलिखित प्रकटन पश्चात टिप्पणियां दायर की हैं:

- क. 2017-18 से पहले, भारत से संबद्ध सामानों का कोई देशी उत्पादन नहीं होता था। पाटनरोधी उपायों को लागू करने से घरेलू उद्योग को अपनी क्षमता बढ़ाने में मदद मिली है, लेकिन इससे नए उत्पादक भी भारतीय बाज़ार में आए हैं।
- ख. केमर्स कंपनी (यूएसएफ) एसआरएफ लिमिटेड के साथ भागीदारी में भारत में घरेलू उत्पादन शुरू करने की योजना बना रही है। भारतीय उद्योग की लंबे समय तक दीर्घावधि वृद्धि बनाए रखने के लिए पाटनरोधी उपायों का जारी रहना बहुत ज़रूरी है।
- ग. जबकि जांच की अवधि के दौरान टरपॉलीमर की कीमतें 3,146 रुपये प्रति किग्रा. थीं, चीनी उत्पादकों में से एक ने टरपॉलीमर उत्पादों को बहुत कम कीमतों पर बेचना शुरू कर दिया है, जिससे भारतीय उद्योग को क्षति होने का खतरा है।
- घ. सामान्य मूल्य के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध बिना कोई कारण बताए पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया गए हैं और इसके परिणामस्वरूप सामान्य मूल्य बहुत कम हो गया है।
- ड. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया था कि सामान्य मूल्य निर्धारित करते समय कैप्टिव इनपुट के संबंध में लाभ का एक उचित हिस्सा शामिल किया जाए। लाभ मार्जिन को शामिल न करने से उत्पाद का सही आर्थिक मूल्य पता नहीं चलता है। हालांकि, इस पर विचार नहीं किया गया है।
- च. नियमावली के अनुबंध III के अनुसार, आयात कीमत के आधार पर आर142 बी का मूल्यांकन सही नहीं है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा अपनी उत्पादन सुविधाओं पर किए गए फिक्स्ड कॉस्ट को भी पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया है। आर142बी की लागत तय करने के लिए उत्पादन की वास्तविक लागत पर विचार किया जाना चाहिए। यदि प्राधिकारी को लगता है कि उत्पादन की वास्तविक लागत पर विचार करना अनुचित नहीं होगा, तो प्राधिकारी से अनुरोध है कि खरीद कीमत में निर्धारित लागत को जोड़ने पर विचार करें।
- छ. अधिनियम की धारा 9क (5) और नियमावली के नियम 23 के अनुसार, निर्णायक समीक्षा का एकमात्र उद्देश्य और प्रयोजन संबंधित कारकों की जांच के बाद यह तय करना है कि क्या लागू करने की अवधि को और पांच साल के लिए बढ़ाने की आवश्यकता है।
- ज. यदि किसी पक्षकार को पाटनरोधी शुल्क की मात्रा को फिर से तय करने की आवश्यकता है, तो पक्षकार कानून के तहत समीक्षा के प्रावधानों के माध्यम से

- प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है। पाटनरोधी शुल्क की मात्रा को फिर से तय करने के लिए निर्णायक समीक्षा उपयुक्त समीक्षा नहीं है।
- झ. डब्ल्यूटीओ सदस्य देश, जैसे यूरोपीय संघ (ईयू), यूएसए, चीन, अर्जेंटीना आदि, पाटनरोधी की समान मात्रा बढ़ाते हैं और निर्णायक समीक्षा में मात्रा को फिर से तय नहीं करते हैं।
- ज. चाइनीज ताइपेई, इंडोनेशिया और ईयू (फ्रांस को छोड़कर) से कॉस्टिक सोडा की निर्णायक समीक्षा में, प्राधिकारी ने पीटी एसएहिमास और ट्रिऑन के लिए नकारात्मक पाटन मार्जिन किया। क्योंकि शुल्क लगाने की संभावना थी, इसलिए प्राधिकारी ने पहली निर्णायक समीक्षा जांच में तय किए गए उन्हीं शुल्कों की सिफारिश की।
- ट. विस्कोस स्टेपल फाइबर के आयात से जुड़ी निर्णायक समीक्षा जांच में, पीटी एशिया पैसिफिक ने मूल और पहली निर्णायक समीक्षा जांच में भाग नहीं लिया था। दूसरी निर्णायक समीक्षा में उत्पादक के लिए निर्धारित किया गया क्षति मार्जिन नकारात्मक था। प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार बार होने की संभावना है और उत्पादक के लिए पहली निर्णायक समीक्षा जांच में निर्धारित उन्हीं शुल्कों की सिफारिश की।
- ठ. जब तक पाटनरोधी शुल्क लागू हैं, ऐसी स्थितियों में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में परिवर्तन से कोई निश्चयात्मक परिणाम नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि पाटनरोधी शुल्क पहले से ही लागू है।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

134. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनपुरोधों की जांच की है। यह देखा गया है कि इनमें से अधिकांश अनुरोध उन तर्कों और दावों को दोहराते हैं जिनकी पहले ही जांच की जा चुकी है और इन अंतिम परिणामों के संबंधित संगत पैराओं में आवश्यक सीमा तक उनका समाधान किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दे और जिन्हें प्राधिकारी ने संगत माना है, उनकी जांच नीचे की गई है। कोई भी अनुरोध जो पूर्व अनुरोधों की मात्र पुनरावृत्ति था, और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पहले ही पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी थी, उसे संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।
135. केमर्स चेंगगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड की टिप्पणियों के संबंध में कि वह चेंगगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड से संबद्ध है, प्राधिकारी का मानना है कि ऐसी स्थिति में जहां दो कंपनियां स्वतंत्र कंपनियों के रूप में काम कर रही हैं और एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं (जैसा कि दोनों कंपनियों के अनुरोधों से सिद्ध होता है जिसमें एक कंपनी ने दोनों कंपनियों के लिए समान शुल्क मांगा है, जबकि दूसरी कंपनी ने इसका विरोध किया है) और जहां दोनों कंपनियां एक ही पीसीएन के तहत आने वाले उत्पाद को काफी अलग कीमतों पर बेच रही हैं, यह स्पष्ट है कि कानूनी

संबंध के बावजूद, दोनों कंपनियां अपनी कीमत और पाटन व्यवहार के संबंध में दो अलग और स्वतंत्र कानूनी कंपनियां हैं। घरेलू उद्योग और झोंगहाओ चेंगगुआंग दोनों ने तर्क दिया है कि इन कंपनियों ने अलग-अलग व्यावसायिक कंपनियों के रूप में काम किया है। इसलिए प्राधिकारी का मानना है कि दोनों कंपनियों को संबद्ध मानना उचित नहीं होगा। इसी तरह, प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि झोंगहाओ चेंगगुआंग के लिए पहले से निर्धारित व्यक्तिगत शुल्क को केमर्स चेंगगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड द्वारा किए गए निर्यात पर लागू करना उचित नहीं होगा।

136. पैरा 68 और 70 में कीमत कटौती के संबंध में आयात की मात्रा में बेमेल होने की टिप्पणियों पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पैरा 68 में कीमत कटौती डीजी सिस्टम लेनदेन-वार आंकड़ों पर आधारित है और पैरा 70 में कीमत कटौती भाग लेने वाले उत्पादकों की प्रतिक्रिया पर आधारित है जैसा कि संबंधित पैराग्राफ में स्पष्ट किया गया है।
137. प्राधिकारी यह पाते हैं कि सोल्वे स्पेशलिटी पॉलीमर्स कंपनी लिमिटेड, हालांकि वर्तमान जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत है, ने अपनी निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। निर्माता ने कहा है कि जांच अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद का कोई निर्यात नहीं किया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी ने प्रश्नावली के भाग I और II का उत्तर नहीं दिया, जो निर्यात से जुड़ी सूचना से संबंधित है।
138. इस टिप्पणी पर कि प्राधिकारी ने पीसीएन आधार पर तीसरे देश की पाटन की जांच नहीं की है, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने पीसीएन आधार पर तीसरे देश की पाटन और क्षति का विश्लेषण किया है।
139. इस टिप्पणी के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने एक विदेशी उत्पादक द्वारा क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन अधिशेष क्षमता साबित करने के लिए कोई ठोस आंकड़े देने में विफल रही है, प्राधिकारी यह स्पष्ट करते हैं कि संभावना का विश्लेषण संबद्ध देश के प्रतिभागी उत्पादकों के प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर किया गया है।
140. सामान्य मूल्य और क्षतिरहित कीमत पर की गई टिप्पणियों पर, इनकी गणना प्राधिकारी की सतत परिपाटी के आधार पर की गई है।

ड. निष्कर्ष

141. उठाए गए तर्कों, दी गई सूचना, किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर रिकॉर्ड किया गया है और घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि: -

क. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद फ्लूरोएलास्टोमर्स (एफकेएम) हैं। फ्लूरोएलास्टोमर्स में रॉ गम और प्री-कंपाउंड दोनों रूपों में और अलग-अलग प्रकार के कोपॉलीमर और टर्पोलीमर शामिल हैं। कंपाउंड और एफकेएम को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, आयातित उत्पाद की समान वस्तु है।

- ग. आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग है, और आवेदन-पत्र नियमावली के तहत अपेक्षाओं को पूरा करता है।
- घ. चेंगुआंग फ्लूरो एंड सिलिकॉन इलास्टोमर्स कंपनी लिमिटेड, सिचुआन डोवॉन न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड, और अन्य गैर-प्रतिभागी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक है।
- ड. संबद्ध देश से आयात की मात्रा पूर्ण दृष्टि से और सापेक्ष दृष्टि से बढ़ी है।
- च. कीमत कटौती कुल मिलाकर नकारात्मक है। को-पॉलीमर रॉ गम (एफसीपी#आरजी0001) और टरपॉलीमर बिस-फिनोल क्यूरेबल प्री-कंपाउंड (एफसीपी# पीसी0005) के लिए कीमत कटौती सकारात्मक है।
- छ. घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि के दौरान अपनी क्षमता का विस्तार किया है, और उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है।
- ज. घरेलू उद्योग को विगत में क्षति हुई थी। घरेलू उद्योग ने क्षति की पूरी अवधि के दौरान लाभ कमाया है।
- झ. भाग लेने वाली कंपनियों से तीसरे देशों को सामान्य मूल्य से कम कीमतों पर, भारत में बिक्री कीमत और घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत पर निर्यात की संचयी मात्रा कुल आयात, घरेलू उद्योग के उत्पादन और भारत में खपत के संबंध में काफी अधिक है।
- ञ. निर्यात के लिए पहले से ही उपयोग की जा रही महत्वपूर्ण क्षमताओं के अलावा, भाग लेने वाले चीनी उत्पादकों के पास 7000 एमटी से अधिक अप्रयुक्त क्षमता है जो भारत में मांग का लगभग तीन गुना है।
- ट. लागू पाटनरोधी शुल्क के परिणामस्वरूप, आवेदक के निष्पादन में मात्रा और कीमत मापदंडों में सुधार हुआ है। हालांकि, जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और उसके परिणामस्वरूप होने वाले क्षति के जारी रहने/बार-बार होने की संभावना है।
- ठ. अंतिम उपभोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य पाया गया है।
- ड. जांच में ऐसा कोई विचार सामने नहीं आया जिससे यह पता चले कि ऐसे उपायों को जारी रखना जनहित में नहीं होगा।
- ढ. एक और निर्माता केमर्स कंपनी (यूएसए) एसआरएफ लिमिटेड के साथ प्रतिभागिता में भारत में घरेलू उत्पादन शुरू कर रही है। पाटनरोधी उपायों को जारी रखना भारतीय उद्योग की लंबे समय तक दीर्घावधि वृद्धि बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

ढ. सिफारिशें

142. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी संबंधित पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य संबद्ध

पक्षकारों को पाटन और क्षति के जारी रहने/बार-बार होने की संभावना के पहलुओं पर सूचना देने का पर्याप्त अवसर दिया गया था।

143. यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है क्योंकि अगर पाटनरोधी उपायों को खत्म करने दिया जाता है तो पाटन और क्षति के जारी रहने/बार-बार होने की संभावना है, प्राधिकारी का मानना है कि पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, यह देखते हुए कि शुल्क को पाटन और क्षति की संभावना के आधार पर बढ़ाया जा रहा है। सहयोगी निर्यातकों द्वारा भारत और बाकी दुनिया को किए गए पाटन और क्षतिकारक निर्यातों की संचयी मात्रा पर विचार किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में प्राधिकारी ने क्षति की संभावना पाई है, जिसका मूल्यांकन चीनी निर्यातकों के प्रश्नावली उत्तर के आधार पर और भारत को उनके पाटित और क्षतिकारक निर्यातों की संचयी मात्रा पर विचार करते हुए किया गया है। प्राधिकारी का मानना है कि मौजूदा जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के आधार पर शुल्क में बदलाव करना उचित नहीं होगा, यह देखते हुए कि पाटनरोधी शुल्क को घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के आधार पर बढ़ाया जा रहा है।
144. इसी के मद्देनजर, प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम फा.सं. 7/03/2020-डीजीटीआर दिनांक 19 अक्टूबर 2020 (जैसा कि शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित किया गया है) के अनुसार अधिसूचित निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करना उचित और आवश्यक समझते हैं, सिवाय उन उत्पादक निर्यातकों के जिन्होंने निर्णायक समीक्षा जांच में भाग नहीं लिया है। इस निर्णायक समीक्षा जांच में सहयोग न करने वाले उत्पादक निर्यातकों को नीचे दी गई तालिका में बताए अनुसार अवशिष्ट शुल्क दिया गया है। इसके अलावा, केमर्स चेंगगुआंग फ्लोरोमटेरियल्स (शंघाई) कंपनी लिमिटेड और सिचुआन डोवॉन न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड ने मूल और पहली निर्णायक समीक्षा जांच में भाग नहीं लिया था और यह तथ्य कि प्राधिकारी ने संबद्ध समीक्षा जांच में क्षति की संभावना के आधार पर उपायों को जारी रखने की सिफारिश की है, प्राधिकारी का मानना है कि उत्पादकों को व्यक्तिगत पाटनरोधी शुल्क देना उचित नहीं होगा। हालांकि, उत्पादक नियमावली के अनुसार उचित समीक्षा की मांग करने के लिए स्वतंत्र हैं।
145. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम (7) में बताई गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से, विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर, संबंधित देश से अगले पांच (5) साल की अवधि के लिए लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूओएम	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3904 50 90. 3904 69 90. 3904 90 90, 3904 69 10**	फ्लोरो इला स्टोम र्स (एफके एम)*	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कं, लिमिटेड	1.04	कि.ग्रा.	यूएस डॉ.
2	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	झोंगहाओ चेंगगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल उद्योग कं, लिमिटेड	1.30	कि.ग्रा.	यूएस डॉ.
3	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	चेंगगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन इलास्टोमर्स कं, लिमिटेड।	3.85	कि.ग्रा.	यूएस डॉ.
4	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	ऊपर क्र.सं. 1 से 3 में उल्लिखित को छोड़कर कोई उत्पादक	8.86	कि.ग्रा.	यूएस डॉ.
5	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. को छोड़कर कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	8.86	कि.ग्रा.	यूएस डॉ.

*विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र फ्लूरोएलास्टोमर्स है। जिसमें कोपॉलीमर फ्लूरोएलास्टोमर्स, टरपॉलीमर फ्लूरोएलास्टोमर्स शामिल हैं। कोपॉलीमर राँ गम, कोपॉलीमर प्री कंपाउंड, टरपॉलीमर बिस्फेनॉल

क्यूरेबल रॉ गम, टरपॉलीमर पेरोक्साइड क्यूरेबल रॉ गम और टरपॉलीमर बिस्फेनॉल क्यूरेबल रॉ गम शामिल हैं। हालाँकि, एफकेएम कंपाउंड और परफ्लूरोएलास्टोमर (एफकेएम) संबंध सामानों के क्षेत्र से बाहर रखे गए हैं।

**** सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक हैं और जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं।**

ण. आगे की प्रक्रिया

146. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2025

FINAL FINDING

CASE NO. ADD (SSR)-04/2025

Subject: Sunset Review investigation concerning anti-dumping duty on imports of 'Fluoroelstomer' (FKM) originating in or exported from China PR.

F. No. 7/08/2025 – DGTR - Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “Rules”) thereof;

- a. Designated Authority (hereinafter referred to as “the Authority”) received an application from Gujarat Fluorochemicals Limited (hereinafter referred to as the ‘applicant’ or the “the domestic industry”) seeking initiation of a sunset review for extension of the present anti-dumping duty imposed on imports of Fluoroelastomer (hereinafter to be referred to as the “subject goods” or the “the product under consideration” or the “PUC”), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).
- b. On the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicant, the Authority issued a public notice vide notification no. 7/08/2025- DGTR dated 16th June 2025 published in the Gazette of India,

Extraordinary, initiating the subject investigation. The investigation was initiated in accordance with Section 9A (5) of the Act read with Rule 23 of the Rules to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry and if there is a need for continued imposition of the anti-dumping duties.

A. BACKGROUND OF THE CASE.

1. The original anti-dumping investigation into imports of product under consideration from China was initiated on 2nd January 2018. The Authority had recommended anti-dumping duty on imports of Fluoroelstomer from China PR vide Final Finding Notification No. 6/25/2017-DGAD dated 27th December 2018 for a period of 18 months. The definitive antidumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 6/2019-Customs (ADD) dated 28th January 2019 for a period of 18 months till 27th July 2020.
2. Thereafter, a sunset review investigation was initiated vide Notification No. 7/03/2020-DGTR dated 07th February 2020. Pending the investigation, the anti-dumping duty was extended for a period of three months vide Custom Notification No. 19/2020-Customs (ADD) dated 21st July 2020 up to 27th October 2020. The final finding of the sunset review was issued on 19th October 2020, and definitive antidumping duty was imposed on the subject goods for a period of five years vide Notification No. 40/2020 dated 27th November 2020.
3. In the original investigation, the anti-dumping measures were imposed for a period of 18 months only. Thereafter in the first sunset review, the anti-dumping measures were extended for a period of 5 years. The duty was imposed on 28th January 2019 and shall, unless extended further, expire on 27th November 2025.
4. In terms of Section 9A (5) of the Act, any anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such an imposition. Further, Rule 23(1B) of the Rules provides as follows:

“Any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated Authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry”

5. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, whether the expiry of existing anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
6. The scope of the present review covers all aspects of the final finding, no. F. No. 7/03/2020-DGTR dated 19th October 2020 and vide Notification No. 40/2020 dated 27th November 2020.

B. PROCEDURE

7. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

- a. In accordance with Rule 5 of the Rules, before proceeding to initiate the investigation, the Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application.
- b. In accordance with Rule 6 of the Rules, the Authority issued a notification no. 7/08/2025- DGTR dated 16th June 2025, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the sunset review anti-dumping investigation concerning the imports of the product under consideration from the subject country.
- c. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 01 January 2024 - 31 December 2024. The injury information has been provided for the period of investigation and the three preceding years, that is, 1 April 2021 – 31 March 2022, 1 April 2022 – 31 March 2023, and 1 April 2023 – 31 March 2024 and period of investigation.
- d. A request was made to the Directorate General for Systems and Data Management (DG Systems) for transaction-wise import data of the subject goods for the injury period. The Authority received the data and has relied upon this data for the necessary analysis after due examination of the transactions.
- e. In accordance with Rule 6 (2) of the Rules, the Authority sent a copy of the initiation notification to the embassy of the subject country in India, the known producers, and exporters from the subject country, known importers and users in India, and the other interested parties, as per the email addresses made available by the applicant.
- f. In accordance with Rule 6 (3) of the Rules, the Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassy of the subject country in India.
- g. In accordance with Rule 6 (4) of the Rules, the Authority sent exporter's questionnaire to the known producers/ exporters in subject country.
- h. The Authority sent questionnaires to the governments of the subject country through their embassy in India. The Government of the subject country was requested to forward the Initiation Notification and the questionnaires to the producers of the subject goods and advise them to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
- i. The following producers and exporters have registered in the present investigation.

SN	Name of producer/exporters in the subject country.
1	Chemours Chemical (Shanghai) Co. Ltd
2	Chemours Chenguang Fluoromaterials (Shanghai) Co. Ltd
3	Chenguang Fluoro And Silicone Elastomers Co. Ltd
4	Daikin Fluorochemicals (China) Co. Ltd
5	Fure Industrial (Shanghai) Co. Ltd
6	Hung Hua Construction Co. Ltd
7	Sichuan Dowhon International Co. Ltd
8	Sichuan Dowhon New Materials Co. Ltd
9	Solvay Specialty Polymers (Changshu) Co. Ltd.
10	Tokyo Zairyo Co. Ltd. Japan
11	Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co. Ltd
12	Uni Alliance Limited

- j. In accordance with Rule 6(4) of the Rules, the Authority sent initiation notification and copies of the importers' questionnaire to the known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information.
- k. The following users/importers have registered in the present investigation.

SN	Name of users and importers.
1	Eastcorp Polymers Private Limited
2	Solvay Specialities India Private Limited
3	Tokyo Zairyo Co. Ltd.

- l. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire (EIQ) to assess public interest and impact of the duties on the wider economy. The economic interest questionnaire was also shared with the administrative line ministry. Only the applicant has filed reply to the economic interest questionnaire.
- m. A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was uploaded on the website. All registered interested parties were directed to circulate the non-confidential version of all their submissions in the present proceedings with all other interested parties
- n. In accordance with Rule 6(6), the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held on 30th July 2025. The parties presenting their views in the oral hearing were directed to make written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- o. In accordance with Rule 6(8), wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.
- p. In accordance with Rule 7, information provided by the interested parties on confidential basis was examined by the Authority with regard to the sufficiency of the confidentiality claimed. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- q. In accordance with Rule 8, the Authority conducted verification of the data provided by the applicant and other interested parties to the extent considered necessary for the present proceedings. The Authority has considered the verified data of the interested parties in its analysis in the present case.
- r. The Authority calculated the non-injurious price (NIP) for the product under consideration so as to ascertain whether duties lower than the dumping margin would be sufficient to remedy the injury being suffered by the domestic industry. The NIP has been calculated based on the optimum cost of production and cost to produce & sell the domestic like article in India, based on the information furnished by the applicant and having regard to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).
- s. The Authority examined the issues raised, information provided, and submissions made by the interested parties during the course of the proceedings, to the extent they were supported by evidence and considered relevant to the present purposes, in making the final findings.
- t. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government to all interested parties on 20th August April 2025. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.
- u. *** represents information furnished by a party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

- v. The exchange rate adopted by the Authority for the period of investigation is 1 US\$= Rs' 84.38

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 Submission of the other interested parties.

8. The other interested parties have submitted as follows with regards to the scope of the product under consideration and like article:
- a. Authority should clarify whether compounds and FFKM are excluded in the scope of investigation.

C.2. Submission of the applicant.

9. The applicant has submitted as follows with regards to the scope of the product under consideration and like article:
- a. The scope of the product under consideration in the present investigation is the same as defined in the original investigation.
- b. FKM has industrial use in hydraulic O-ring seals, check valve balls, electrical connectors, automotive use in shaft seals, fuel injector O-rings, and aerospace use in O-ring seals in fuels, lubricants and hydraulic system, manifold gaskets and fuel tank bladders.
- c. FKM does not have a dedicated customs classification either in India or in China. Imports have majorly entered under the HS Code 39046910 and 39046990.
- d. Compound and FFKM are excluded from the scope of the product under consideration in the previous investigation

C.3. Examination by the Authority.

10. The present investigation is a sunset review investigation and the scope of the product under consideration remains the same as defined in the previous investigations.
11. The product under consideration as defined in the original investigation is reproduced hereunder: -

“The product under consideration (PUC) in the present investigation is Fluoroelastomers (FKM). Fluoroelastomers (FKM) is a class of synthetic rubber designed for very high temperature operation. With excellent over-all properties, Fluoroelastomers (FKM) is called as the "Rubber King. It contains not-fully- fluorinated molecular structure, and its main and side chains contain strong electronegativity of fluorine atoms. "Fluoroelastomers" are a family of fluoropolymer rubbers, not a single entity. It can be classified by their fluorine content, 66%, 68%, & 70% respectively. FKMs are broadly categorized in two sets - Copolymer and Terpolymer.”

12. In the sunset review investigation concluded by the Authority vide. F. No. 7/3/2020-DGTR-DGTR dated 19th October 2020, the Compounds and FFKM were excluded from the scope of product under consideration. The relevant extract is produced herein below.

“16. Authority in view of the aforesaid proposed PCN, holds that the PUC i.e. Fluoroelastomers includes copolymer and terpolymer both in raw gum and pre- compound form and of different types. Compounds and FFKM are excluded from the scope of PUC.”

13. In the absence of any comments, the scope of the product under consideration is same as defined in the previous investigation.

14. The Authority notified a PCN methodology which was adopted by the Authority in the previous sunset review and proposed by the applicant for the present investigations. The interested parties in the subject investigation were asked to advise comments on the PUC/PCN methodology, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation.
15. Considering the submissions on record, the Authority notified scope of the PUC and PCN methodology vide notice dated 8th July 2025 and stated that the scope of the PUC & PCN methodology in the present sunset review investigation remains the same as defined in initiation notification. Post the clarification issued, no further submissions have been received from any interested party either on the scope of the PUC or on the PCN methodology.
16. Accordingly, the PCN methodology adopted in the present sunset review investigation is the same as defined in initiation notification and notified vide notice dated 8th July 2025. The same is reproduced herein.

SN	Name of product type	PCN	Description of PCN
1	Co Polymer-Raw gum	FCP#RG0001	Fluoroelastomers (FKM) Co-Polymer Raw Gun
2	Terpolymer Bisphenol Curable Raw Gum	FTPBRG0002	Fluoroelastomers (FKM) Terpolymer Bisphenol Curable Raw Gum
3	Terpolymer Peroxide Curable Raw Gum	FTPPRG0003	Fluoroelastomers (FKM) Terpolymer Peroxide Curable Raw Gum
4	Copolymer Pre-Compound	FCP#PC0004	Fluoroelastomers (FKM) Copolymer Pre-Compound
5	Terpolymer Bis-Phenol Curable Pre-Compound	FCP#PC0005	Fluoroelastomers (FKM) Terpolymer Bisphenol Curable Pre-Compound

17. The product is classifiable under Chapter 39 under the customs code 39046910 and 39046990. It is also noted that the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of subject investigation. The subject goods are being imported under the following HS codes: 39045090, 39046990, 39049000 and 39046910.
18. The Authority notes that the product produced by the applicant is comparable to the imported goods from the subject country in terms of chemical characteristics, product specifications, technical specifications, manufacturing process, and technology, functions and uses, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially interchangeable. Accordingly, the Authority notes that the product produced by the applicant are 'like article' to the product under consideration imported from the subject country in terms of Rule 2(d) of the Rules and the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING.

D.1 Submission made by the other interested parties.

19. The other interested parties have not made any submission with regards to the scope of the domestic industry and standing.

D.2. Submission made by the applicant.

20. The applicant has submitted as follows with regards to the scope of the domestic industry and standing:
- Applicant is the sole producer of subject goods in India.
 - The applicant has not imported the subject goods from the subject country
 - The applicant is not related to any producer of the subject goods in the subject country or importer of the subject goods in India

D.3. Examination by the Authority.

21. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines the domestic industry as below:

(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers ”

22. The Authority notes that the present application has been filed by Gujarat Fluorochemicals Limited. There is no other producer of the subject goods in India. Considering the information on record the Authority notes that the applicant accounts for entire Indian production.
23. Gujarat Fluorochemicals Limited has certified that it has not imported the product under consideration. The Authority has examined DG System’s transaction-wise data and found that there are no imports of the product under consideration by Gujarat Fluorochemicals Limited.
24. It is noted that the applicant is eligible domestic industry within the meaning of the Rule 2(b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. MISCELLANEOUS SUBMISSION.**E.1. Submission of the other interested parties.**

25. The other interested parties have made the following misc. submissions: -
- Continuation of anti-dumping duties is an exception, and the normal provisions of the law require for termination of duties after five years. This is also supported by the Appellate Body Report in *US-Anti Dumping Measures on OCTG from Mexico*.
 - There is no requirement to compulsorily initiate a sunset review investigation.
 - The applicant should be directed to submit the post-period of investigation data.
 - The application lacks critical information mandated by Trade Notice 03/2021 such as total and surplus capacity in China, information about export sales to third countries, and crucially any post-period of investigation data.

E.2 Submission of the applicant.

26. The applicant has made the following misc. submissions: -
- There is no such requirement of proving an “exceptional circumstance” either under the Act or the Rules for extension of duties beyond 5 years. The only condition necessary for extension of duties is whether cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

- b. The Authority in the large number of cases recommended to continue duty in the second or even further sunset review.
- c. The duties were originally imposed for only 18 months. Thereafter, the duties continued for a period of 5 years in 2020, after an extension of further two months. Thus, the duties have only been in place for less than nearly 6.5 years.
- d. In the original investigation and first sunset review, the applicant was in continuous losses. The Authority had therefore increased the anti-dumping quantum. Therefore, it is only in the injury period of the current review, that the applicant was able to get effective remedy against dumping. This has only been possible due to the duties in place that restricted the influx of cheap imports into the country and allowed the domestic industry to serve the Indian market. If the duties are not continued, the exporters from China PR will start exporting aggressively at low prices and the domestic industry would once again suffer
- e. On the submission that the duty applicant has received adequate protection, the duties have only been in place for less than nearly 6.5 years. As against this European Union industry gets anti-dumping duty for a very longer period. A six-month period for which interim duty is in place is not even counted in five-year period. As opposed to Indian practice, European Union initiates sunset review in the last month, and sometimes last week of expiry of duty, and then extends the anti-dumping duty, pending outcome of review.

E.3. Examination by the Authority.

- 27. As regards the submission that the application did not meet the requirements of Trade Notice 03/2021 which deals with revised timelines and the information to be provided by an applicant for sunset review investigation, the Authority notes that the applicant has provided in its application information on third country exports, capacity expansions, export orientation and surplus capacities in the application. The investigation was initiated based on sufficient prima facie evidence to justify the present sunset review investigation and upon initiation all the interested parties were advised to submit their data and views. The same has been considered by the Authority to the extent relevant in the present final finding.
- 28. As regards submission that that termination of anti-dumping duty after a period of 5 years is the norm and continuation of duty is an exception to the norm, the Authority notes that anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that, if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period upto five years. Authority notes that as per Section 9(A)(5) of the Act and Rule 23 of the Rules, there is no restriction on the maximum period for which the duty can remain in force. The only condition necessary for extension of duties is whether cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. The anti-dumping duty can be extended for a period as long as necessary to counteract likelihood of dumping and injury, or withdrawn, if there is no justification for continuation of duty.
- 29. The applicant in the present case has filed application contending continuance or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. A review, as provided under the Rule 23 (1B), was initiated and the Authority shall determine whether there is a likelihood of continuation of recurrence of dumping and injury in case of cessation of ADD.

F. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

F.1 Submission by other interested parties

30. The other interested parties have made the following submissions with regard to the normal value, export price and dumping margin:
- a. Chemours Chenguang Fluoromaterials (Shanghai) Co. Ltd. (CCF) is a 50:50 Joint venture between Chemours and Zhonghao Chenguang.
 - b. CCF is participating in this investigation for the first time and did not export the product during earlier investigations.
 - c. CCF will be barred from being treated as a "new shipper" under Rule 22 of the AD Rules, as it is 'related' to an existing producer that has already been a part of the original investigation
 - d. CCF is related to Zhonghao Chenguang because the person holding more than 5% shares in Zhonghao Chenguang also indirectly (through Zhonghao Chenguang) holds 50% shares in the JV entity and as such the situation meets the criteria set out in clause (iv) of Trade Notice No. 9/2018.
 - e. The Authority in anti-dumping investigation concerning imports of LDPE from Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Thailand, United Arab Emirates and United States of America, treated two exporters (Sadara and Petro Rabigh) as single entity. The majority shareholding in Sadara is held by a wholly owned subsidiary of Saudi Aramco, and Saudi Aramco is also related to Petro Rabigh.
 - f. The use of third country export prices as normal value is discretionary under Paragraph 7 of Annexure I and should only be adopted if it results in a more accurate and fair comparison than domestic or constructed values in India.
 - g. Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd has disputed the claim that Chemours Chenguang Fluoromaterials (Shanghai) Co., Ltd. is related to them. It has been stated that Chemours Shanghai and Zhonghao Chenguang are not the same group.
 - h. Reference to LDPE case is not appropriate as there exporters were treated as a single entity because they were not only related but also operated through the same export channels and acted as an integrated group. In the current case, Chemours Shanghai and Zhonghao Chenguang are independent, compete with each other and export separately
 - i. On the applicant's claim that the exporters could have provided information on price of its related entities in market economy third country, there is no legal obligation on an exporter to furnish data regarding a third country's cost of production or selling prices merely because a group entity is present in such third country. The data pertaining to each legal entity is confidential and the applicant has not pointed out the provision under which such data may be sought.

F.2 Submissions by the domestic industry

31. The domestic industry has made the following submissions with regard to the normal value, export price and dumping margin:
- a. As per the Accession Protocol and practice of Authority, China should be treated as a non-market economy. Market economy treatment can be allowed only when the same is claimed and appropriateness thereof is demonstrated.
 - b. None of the producers have filed the NME questionnaire
 - c. None of the other have shown that market economy conditions prevail in their industry, the Authority is not required to determine the normal value based on domestic prices or costs in China.
 - d. The normal value should be based on the import price from United States of America adjusted to arrive at net ex-factory level.

- e. In the previous investigation, since the prices of raw gum from USA to India was more than pre-compound prices, this methodology was contested by other interested parties and the Authority determined the normal value based on the cost of production in India, duly adjusted.
- f. In the period of investigation of the present investigation, the prices of the raw gum and pre-compound from USA have moved in line with the global prices.
- g. Some of the participating exporters have operations in European Union, United States of America and other countries. Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd is a part of Daikin Industries which has a division in USA called Daikin Fluorochemicals USA that exports the subject goods. Solvay Specialty Polymers (Changshu) Co. Ltd is a part of the Solvay group which has operations in multiple countries including USA, Europe and Asia. These exporters should have provided their exports from third countries to India for determination of normal value.
- h. Normal value should be determined based on the price actually paid in India. As per the hierarchy of determining the normal value, the price paid in a India takes precedent over the price payable in India. Since applicant has not suffered injury in the period of investigation, its selling price is the actual price available in the country and can be considered as normal value.
- i. On request of CCF to grant same duty as Zhonghao Chenguang, mere relationship of the two companies is insufficient to collapse duty.
- j. The applicant has sought extension of measures, and it is a case of no current injury, the existing duties are required to be extended.
- k. In the anti-dumping investigation relating to the imports of DOPP, Authority has not collapsed anti-dumping duty on Kodak and Lucky, despite their admitted relationship.

F.3 Examination by the Authority

a. **Normal value**

32. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling, and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

(b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

33. The response to Exporters' Questionnaire has been filed by the following producers and their associated exporters.

- a. Chenguang Fluoro And Silicone Elastomers Co. Ltd
- b. Chemours Chenguang Fluoromaterials (Shanghai) Co. Ltd through M/s Chemours Chemical (Shanghai) Co. Ltd., Tokyo Zairyo Co. Ltd. Japan
- c. Daikin Fluorochemicals (China) Co. Ltd and its exporter Uni Alliance.
- d. Sichuan Dowhon New Materials Co. Ltd and exporter Dowhon International
- e. Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co. Ltd

34. The Authority notes the following provisions under Para 7 and Para 8 of Annexure-I to the Rules with regard to the determination of normal value for producers in China PR

“7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question] and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in a similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay of the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

“8. (1) The term “non-market economy country” means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in subparagraph (3).

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an antidumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three-year period preceding the investigation is a non-market economy country. Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3)

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values; (b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts; (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and

stability for the operation of the firms, and (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.

(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a Member of the World Trade Organization.”

35. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption of treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers / exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information on whether their data/information could be adopted for normal value determination. The Authority sent copies of the market economy treatment / supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters in China PR to provide relevant information in this regard.

36. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

“(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the

importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

37. The Authority notes that while the provisions of Article 15 (a)(ii) of China PR's Accession Protocol have expired with effect from 11th December 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of the Anti-Dumping Agreement read with obligation under 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in Para 8 of the Annexure 1 of Anti-Dumping Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming MET status.
38. The Authority notes that none of the producers/exporters from China PR has filed supplementary questionnaire response to rebut the presumptions as mentioned in para 8 of Annexure – I of the Rules. Under these circumstances, the Authority has to proceed in accordance with para 7 of Annexure – I of the Rules.
39. It is noted that paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules stipulates multiple plausible methods for calculating the normal value for producers in non-market economy, including (a) on the basis of price or constructed value in a market economy third country; (b) export price from a third country to other countries, including India; and (c) on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. The Authority notes that under the provisions of paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules, the normal value must first be determined on the basis of the price or constructed value in a surrogate country, or the price of the exports from such country to other countries, including India.
40. At the stage of filing the application, the applicant submitted that the normal value for China PR should be based on the import price from United States of America adjusted to arrive at net ex-factory level. The applicant has additionally submitted normal value based on price payable in India based on cost of production of the domestic industry.
41. No information/evidence has been provided by the parties for the consideration of the normal value on the basis of the price or constructed value in the market economy third country.
42. The Authority notes that during the period of investigation the import price of copolymer raw gum is higher than the import price of copolymer pre compound. Raw gum is the raw material used to produce copolymer pre compound and therefore, the import price of raw gum does not appear to reflect the market prices.
43. The Authority has determined normal value based on the price payable in India. The normal value has been determined based on the cost of production of production of the domestic industry including selling, general and administrative and reasonable profit margin.

b. Export price.

i. Chenguang Fluoro And Silicone Elastomers Co. Ltd

44. The producer has reported [***] MT as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has directly exported the product to India and

no other related/ unrelated party is involved in the export of the product under consideration. The producer has reported various adjustments to the export price to work out ex-factory export price. The net export price so determined is shown in the table below.

ii. Chemours Chenguang Fluoromaterials (Shanghai) Co. Ltd

45. The producer has reported [***] MT as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has exported the product to India through its related entity M/s Chemours Chemical (Shanghai) Co. Ltd. which has then exported through (a) unrelated exporter Tokyo Zairyo Co. Ltd. Japan or (b) to unrelated importer Tokyo Zairyo Co. Ltd. All these entities have filed questionnaire response.

46. The producer has stated that it is a 50:50 joint venture between Chemours Chemicals group and Zhonghao Chenguang (a participating producer). CCF has claimed that it has participated for the first time and did not export the product during earlier investigations. CCF has requested that either it may be granted an individual duty or the duty applicable to Zhonghao Chenguang may be extended to the producer. The applicant and Zhonghao Chenguang have disputed this and has claimed that mere existence of relationship is not sufficient. Zhonghao has also submitted that the two companies operate independently and have no control over each other's operations, with each company making its own commercial decisions, manages its own export. It is established practice that related exporters are not given the same rate unless they form part of a single economic entity or are under common control which is absent in the present investigation.

47. The Authority has examined the submission made. In the present case, it has not been disputed that the two entities have independent operations. Zhonghao Chenguang has on the contrary disputed the relationship and has claimed that they are not part of the same group. The two companies operate separately and compete with each other, and there is no coordination in pricing, exports, or production.

48. The net export price so determined is shown in the table below.

iii. Daikin Fluorochemicals (China) Co. Ltd

49. The producer has reported [***] MT as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has directly exported the product to India, and no other related/ unrelated party is involved in the export of the product under consideration. The producer has reported various adjustments to the export price. The net export price so determined is shown in the table below.

iv. Sichuan Dowhon New Materials Co. Ltd

50. The producer has reported [***] MT as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has exported through its related exporter - Dowhon International. The producer and exporter have reported various adjustments to the export price. The net export price so determined is shown in the table below.

v. Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co. Ltd

51. The producer has reported [***] MT as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has directly exported the product to India, and no other related/ unrelated party is involved in the export of the product under consideration. The net export price so determined is shown in the table below.

vi. Any other

52. The export price for other non-cooperative producers/exporters from China has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules.
53. Based on the above, the dumping margin has been determined and is shown below.
54. It is seen that the dumping margin is positive for Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd and Sichuan Dowhon New Materials Co., Ltd., but negative for the others.

SN	Particulars	Normal value USD/MT	Net export price USD/MT	Dumping margin USD/MT	Dumping margin %
1	Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd	***	***	***	20-30%
2	Sichuan Dowhon New Materials Co., Ltd	***	***	***	30-40%
3	Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd	***	***	***	Negative
4	Daikin Fluorochemicals (China) Co.,	***	***	***	Negative
5	Chemours Chenguang Fluoromaterials (Shanghai) Co. Ltd	***	***	***	Negative
6	Others	***	***	***	40-50%

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK AND LIKLIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY.

G.1. Submission of the other interested parties

55. The other interested parties have made the following submissions with regard to injury and causal link:
- Rate of increase has dropped to a considerable extent in the period of investigation.
 - Domestic production for sale has increased tremendously even when the total demand has decreased.
 - The import value of the subject imports has been in tandem with the total demand for the subject goods.
 - Profits of the applicant have increased considerably in the period of investigation even when demand has decreased.
 - The anti-dumping duty has been in force for more than four years; the applicant has already consolidated and strengthened its market position to the extent it can cater to the Indian demand of subject goods.
 - In the case of Indian Spinners Association v. Designated Authority, CESTAT held that 'existence of surplus production capacity cannot be taken as posing a clearly foreseen and imminent threat of injury.'
 - Mere allegation of capacity expansion argument does not establish a likelihood of dumping.
 - WTO Panel in US- Sunset Review of Anti-Dumping Duties on Corrosion- Resistant Carbon Steel Flat Products from Japan stated that any conclusions drawn with regard to a likelihood determination under Article 11.3 would have to be established positively and on demonstrable evidence.

- i. The claims of the applicant on likelihood of injury are not substantiated. The applicant has not provided any evidence of the likelihood of injury.
- j. Mere capacity expansion of one of the producers cannot be ground for likelihood.

G.2. Submission of the applicant.

56. The applicant has made the following submissions with regard to injury and causal link:
- a. Volume of imports increased significantly over the period and was the highest in the period of investigation. In fact, since the duties have been imposed, the imports from the subject country have increased by 158%.
 - b. The subject imports have taken away the market share of the applicant and have increased in relation to consumption in India.
 - c. Price undercutting in respect of Daiken is negative, whereas price undercutting in respect of other Chinese producers is positive.
 - d. During the present injury period, the applicant has set up a new plant in Jolva with a capacity of 3,600 MT. As a result, the capacity and production of the applicant has increased over the injury period, while the capacity utilization decreased.
 - e. The domestic sales of the applicant have also increased but despite increase in capacity and domestic sales, the imports from the subject country have commanded nearly one third of the market share.
 - f. The market share of the applicant has increased in the period of investigation. Despite increasing its capacity and production substantially, the applicant constitutes less than half the market share in the country.
 - g. The profitability of the domestic industry improved in 2022-23 and then declined in 2023-24 and thereafter increased in the period of investigation. The cash profits have also shown a similar trend. The return on investment of the applicant has drastically decreased after 2022-23.
 - h. Owing to the duties in force, the applicant has witnessed growth in its economic parameters. However, even then, its profitability has remained low in recent years.
 - i. The information shows that the dumping margin continues to remain positive and significant. The fact of continued dumping demonstrates irrefutably that there is likelihood of continued and aggravated dumping in the event of expiry of duty.
 - j. The applicant has not claimed continued injury in the present investigation. The Authority is required to examine whether the injury is likely to recur in the event of cessation of duty, having regard to the potential volume and price of imports and impact thereof on the domestic producers.
 - k. The volume of imports increased significantly over the period and was the highest in the period of investigation. Since duties have been imposed, the imports from the subject country have increased by 158%.
 - l. India is an important market for the exporters and in case the duties are revoked, the Chinese exporters will flood the Indian market.
 - m. Separate price undercutting should be determined in respect of exports made by Daiken and other Chinese producers since price undercutting in respect of Daiken is negative, whereas price undercutting in respect of other Chinese producers is positive.
 - n. The capacity and production of the applicant have increased over the injury period, while the capacity utilization decreased due to since the applicant has set up a new plant.
 - o. Even though the domestic sales have, despite increase in capacity and domestic sales, the imports from the subject country have commanded nearly one third of the market share.
 - p. The applicant is the sole producer in the country and has sufficient capacity to cater to the entire demand in the country. The market share of the applicant stood is significantly low in the period of investigation.

- q. The closing inventory of the applicant in the period of investigation was the highest.
- r. The average inventory as number of days of production and sales has also increased over the injury period and was highest in the period of investigation.
- s. Since the applicant has set up a new plant, the number of employees, wages and productivity have shown growth.
- t. The profitability and cash profits of the applicant improved in 2022-23 and then declined in 2023-24 and thereafter increased in the period of investigation.
- u. The return on investment of the applicant has drastically decreased after 2022-23.
- v. The dumping margin is not only de-minimis but significant.
- w. The fact of continued dumping shows that there is likelihood of continued and aggravated dumping in the event of expiry of duty.
- x. The fact that the imports have increased over the year and were the highest in the period of investigation shows that, in the event of expiry of duty, the volume of imports is likely to increase further.
- y. Solvay, one of the biggest global producers of subject goods, has increased its capacity for FKM.
- z. Chinese producers are export oriented and most of the FKM exports targeted to India, Germany and United States.
- aa. Chenguang Fluoro & Silicone Polymer Co Limited, exports 80-90% of its annual production and 16% of the exports made by the company were made to India.
- bb. China is the largest fluororubber producer in the globe. China's fluororubber production capacity will reach 30,300 tons per year and accounts for about 46.62% of the world's total fluororubber production capacity.
- cc. The capacity of the fluororubber industry in China is much higher than the demand in India.
- dd. During the period of investigation, the production of product under consideration in Asia stood at 22,351 MT and has steadily increased over the last five years and will continue to do so over the next three years. China's share in the Asia Pacific Fluoropolymers market will be at 61% in 2027.
- ee. In addition to holding significant exportable capacities, the producers in the subject country were also suffering from significant idle capacities.
- ff. United States of America is one of the biggest export markets for the Chinese producers but with the recent increase in the customs duty, it is likely that the Chinese exporters will shift their export market from USA to India.
- gg. The product is produced first in raw gum form which is processed further into pre-compound by addition of few additives and further processing the product. The import price of pre compound is less than the import price of raw gum.
- hh. The applicant has provided a third-party report (by Astute Analytica) to show the Global Fluoropolymers Market. The report shows that China is a major producer of the product under consideration in ASIA Pacific region.
- ii. The product under consideration does not have a dedicated customs classification in India and China. Imports have taken place majorly in the HS code 39046910 and 39046990. Since transaction-wise data is not available to the applicant, it is not in a position to compare the PCN-wise export price of China to other countries for the purpose of likelihood of injury.
- jj. On the submission that the demand has declined and the domestic sales have increased, the respondent has presented incorrect facts. The demand for the product under consideration has increased.

G.3. Examination by the Authority.

57. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles...*”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.
58. The Authority has taken note of the various submissions made by the applicant and other interested parties on injury and causal link and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis carried out by the Authority ipso facto addresses submissions made by the applicant and other interested parties.
59. The interested parties have contended that the applicant should be asked to provide post period of investigation data. The Authority also notes that the interested party has not provided any justifiable reason why the post period of investigation data should be considered. The Authority does not find it appropriate in examining post period of investigation data.
60. The import data reported by the participating producer from China is more than the DG system transaction wise data. The Authority had called for transaction wise import data for 39045090, 39046910, 39046990, and 39049000. However, the import data does not contain Chemours Chenguang Fluoromaterials (Shanghai) Co. Ltd. (CCF). The table below shows the export volume reported by the CCF.

Particulars	CY 2021	CY 2022	CY 2023	POI (CY 2024)
(b) Export Sales-India (Trend)	100	2400	5800	5800

61. To ascertain the volume of imports from China, the Authority has considered the import data as per DG System data and the import volume reported by the CCF. CCF has reported data prior to the period of investigation in calendar year format which is different than the accounting period considered by the Authority. The Authority has therefore, adopted the methodology only for the period of investigation. The volume of imports in the previous years is also low.

SN	Particulars	POI
1	Imports as per DG System (MT)	***
2	Imports as per the producer	***

3	Total imports	608
---	---------------	-----

62. In consideration of the various submissions made by interested parties in this regard, the Authority has examined the current injury, if any, to the applicant before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury.

G.3.1. Volume effect of the dumped imports

a. Assessment of demand/consumption

63. The demand or apparent consumption has been determined as the sum of domestic sales of the applicant and the imports from all sources.

SN	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Sales of applicant	MT	***	***	***	***
2	Trend	Index	100	115	184	193
3	Subject imports	MT	217	303	450	608
	Undumped imports	MT				***
4	Other Imports	MT	548	559	590	574
5	Consumption	MT	***	***	***	***
6	Trend	Index	100	114	157	171

64. It is seen that the demand for the subject product has increased over the years and was the highest in the period of investigation.

b. Imports in absolute and relative terms

65. The information on volume of imports in absolute terms and relative terms over the injury period and in the period of investigation is as below.

SN	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Subject Imports	MT	217	303	450	608
2	Subject import in relation to:					
A	Production	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	59	106	94
B	Consumption	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	125	131	163
C	Total imports	%	28%	35%	43%	51%

66. It is seen that:

- The volume of imports has increased over the injury period and was highest in the period of investigation.
- The imports in relation to production declined in 2022-23, increased in 2023-24 but declined again in the period of investigation.
- The subject imports have shown an increasing trend in terms of consumption in India. The imports in relation to consumption are highest in the period of investigation.
- The subject imports in relation to the total imports into the country have shown a steady increase over the injury period.

H.3.2. Price effect of dumped imports

67. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a. Price undercutting

68. Price undercutting has been determined by comparing the net sales realization of the applicant with the landed price of the imports. The comparison has been undertaken PCN wise basis. The table below shows the price undercutting from the subject country.

SN	PCN	Import volume	Selling price	Landed price	Undercutting	
		MT	Rs/KG	Rs/KG	Rs/KG	%
1	FCP#RG0001	5	***	1,215	***	30-40%
2	FTPBRG0002	-	***	-	***	0%
3	FTPBRG0003	96	***	3,522	***	(20-30)%
4	FCP#PC0004	229	***	1,283	***	(0-10)%
5	FCP#PC0005	78	***	2,059	***	5-10%
6	Total	409	***	1,957	***	(0-10)%

69. The price undercutting is negative on an overall basis. The price undercutting is positive for co-polymer raw gum (FCP#RG0001) and Terpolymer Bis-Phenol Curable Pre-Compound (FCP#PC0005).

70. The Authority also notes that since the volume of imports reported by the participating producers is more than the volume of imports as per DG System data, it is considered appropriate to analyzed price undercutting based on response filed by the producers. The Authority has determined price undercutting based on the data of the participating producers and exporters which is shown below.

SN	Particulars	Import volume	Net selling price	Landed price	Price undercutting	
		MT	Rs/KG	Rs/KG	Rs/KG	%
1	Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd	***	***	***	***	40-50%
2	Sichuan Dowhon New Materials Co., Ltd	***	***	***	***	20-30%
3	Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd	***	***	***	***	40-50%
4	Daikin Fluorochemicals (China) Co.,	***	***	***	***	(10-20) %
5	Chemours Chenguang Fluoromaterials (Shanghai) Co. Ltd	***	***	***	***	(40-50)%
6	Total	***	***	***	***	(10-20)%

71. It is seen that while price undercutting is negative for Daikin Fluorochemicals (China) Co., and Chemours Chenguang Fluoromaterials (Shanghai) Co. Ltd, it is significantly positive for all other producers.

b. Price suppression / depression

72. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, are compared as below.

SN	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Cost of Sales	Rs/KG	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	114	110	90
3	Selling Price	Rs/KG	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	137	100	91

73. It is seen that:

- The cost of sales and selling price of the applicant increased in 2022-23 but declined in 2023-24 and further declined in the period of investigation.
- The applicant has been able to sell at profitable prices over the injury period.
- There were no suppressing or depressing effect of imports on the domestic industry prices in the period of investigation.
- The applicant has stated that it has not suffered continued injury due to anti-dumping duty in force. The applicant is claiming likelihood of recurrence of material injury in the event of cessation of anti-dumping duty.

H.3.4. Impact on economic parameters of the domestic industry.

74. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the applicant are discussed herein below.

a. Capacity, production, capacity utilization and domestic sales

75. Information on capacity, production, capacity utilization and domestic sales over injury period is as follows. Raw gum is used to produce pre-compound. The Authority has considered capacity and capacity utilization at the level of raw gum which is shown below.

SN	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Installed capacity of raw gum	MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	360	320	320

3	Total production of raw gum for capacity utilization purpose	MT	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	241	175	261
5	Capacity utilization	%	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	67	55	82

76. The table below shows total production of the applicant, the domestic and the export sales. Production of sellable raw gum has been calculated considering the total raw gum produced reduced by raw gum transferred to production of other product under consideration.

SN	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Production of saleable raw gum	MT	***	***	***	***
2	Production of pre-compound and other terpolymer	MT	***	***	***	***
3	Total saleable production of product under consideration	MT	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	240	188	287
5	Domestic sales	MT	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	115	184	193
7	Export sales	MT	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	100	255	162	245

77. It is noted that:

- The applicant has set up a new plant with a capacity of *** MT during the injury period.
- The production of the applicant has increased over the injury period, while capacity utilization has witnessed a decrease.
- Both the domestic sales and export sales of the applicant have increased over the injury period.

78. It is thus seen that the performance of the domestic industry has improved in respect of production, capacity utilization and sales. However, the domestic industry is operating with idle capacities and the imports at present cater to a significant share in the demand.

b. Market share

79. Information on market share of imports and the domestic industry over the injury period was as follows:

SN	Market Share	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Domestic industry	%	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	101	117	113
3	Subject imports	%	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	123	132	164
5	Other imports	%	***	***	***	***

80. It is seen that that market share of the domestic industry has increased over the injury period. The market share of subject imports from China has also increased over the injury period. Despite

substantial increase in its capacity and production, the applicant caters to only half of the demand in the country, thus showing its vulnerability.

c. Inventories

81. Information on inventories is as follows:

SN	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Opening inventory	MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	59	195	185
3	Closing inventory	MT	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	330	265	481
5	Average inventory	MT	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	160	221	295

82. It is seen that the average inventory has consistently increased over the injury period. The closing inventory in the period of investigation was highest when seen over the injury period.

d. Profitability, cash profits and return on investment

83. Information on profitability, return on investment and cash profits is as follows:

SN	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Profit/ (loss)	Rs/KG	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	215	65	93
3	Profit/ (loss)	Rs. Lacs	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	247	121	180
5	Cash profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	243	130	188
7	PBIT	Rs. Lacs	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	100	240	127	175
9	Return on investment	%	***	***	***	***
10	Trend	Indexed	100	147	29	49

84. It is seen that:

- The profitability increased in 2022-23 but declined in 2023-24. While the profitability has increased again in the period of investigation, it is lower than 2021-22 and 2022-23.
- Cash profit and profit before interest and tax has followed similar trend as that of profits.
- The return on capital employed has declined in the period of investigation by more than half from the beginning of the injury period.

e. Employment, wages and productivity

85. Information on employment, wages and productivity over the injury period is as under:

SN	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	No. of employees	Nos.	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	209	209	209
3	Salaries and wages	Rs/lakh	***	***	***	***

4	Trend	Indexed	100	111	91	335
5	Productivity per day	MT/Days	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	225	170	253
7	Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	100	108	82	121

86. It is seen that the number of employees, wages and productivity of the domestic industry has shown improvement. With the increase in the capacity of the domestic industry, the number of employees and wages paid have increased. The domestic industry has submitted that employment and wages may not be reflective of the adverse effects of dumping on the domestic industry, as these factors are governed by overall operations of the company and the economy.

f. Growth.

87. The information on growth is provided below:

SN	Particulars	Unit	2022-23	2023-24	POI
1	Production	%	(33)	(18)	49
2	Domestic sales	%	15	61	5
3	Profit/ Loss	%	(33)	(18)	49
4	Cash profits	%	115	(70)	43
5	Inventory	%	47	(80)	66
6	Return on capital employed	%	60	38	34

88. It is seen that the growth in the period of investigation is positive in most of the factors. It has been stated by the domestic industry that the duties have allowed the domestic industry to grow.

g. Ability to raise capital investment.

89. The domestic industry was in losses in the original and the sunset review investigation. The domestic industry has recorded profits after the measures were increased in the 1st sunset review which has allowed the domestic industry to undertake capacity addition. Therefore, the imposition of duties has now allowed the domestic industry to expand the capacities.

h. Margin of dumping.

90. It is seen that there is continued dumping of the subject goods in India from China PR, and dumping margin is more than *de minimis* and significant for some of the participating producers.

i. Factors affecting prices.

91. It is seen that the duties have allowed the applicant to grow. The domestic industry has earned profits throughout the injury period. The prices of the domestic industry have not been affected by any other factor.

H. LIKLIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING & INJURY

92. The present investigation is a sunset review of duties imposed on the imports of the product under consideration from China PR. Under the Rules, the Authority is required to determine whether cessation of existing duty is likely to lead to continuance or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

93. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury considering the requirement laid down under Section 9A (5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure - II (vii) of the Rules and other relevant factors brought on record by the interested parties.
94. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter alia, for factors which are required to be taken into consideration, viz.
- A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.*
 - Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.*
 - Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices and would likely increase demand for further imports; and*
 - Inventories of the article are being investigated.*
95. The Authority has, *inter alia*, considered the above requirements and following parameters in order to determine whether dumping is likely to continue or recur in the event of cessation of anti-dumping duty, and if so, whether the same is likely to cause injury to the domestic industry. Additionally, the Authority has examined all the relevant information brought on record by the domestic industry and the other interested parties.
- Continued dumping of the subject goods from China PR
96. The table below shows the dumping margin determined by the Authority in the original, the first sunset and the present investigation (for the participating producers).

SN	Particulars	Dumping margin %
1	Original investigation	20-30% to 40-50%
2	First sunset review	0-20% to 20-40%
3	Present sunset review	Negative and 20-50%

97. The Authority notes that the dumping from China PR has continued. Continued dumping demonstrates that there is likelihood of continued and aggravated dumping in the event of expiry of duty as the dumping margin continues to remain positive and significant.
- Increase in imports of the subject goods.
98. The table below shows the import volume in the injury period.

SN	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Total imports from China	MT	217	303	450	608

99. It is seen that the imports of the subject goods have increased substantially over the injury period and were the highest in the period of investigation. The increase in the dumped imports despite anti-

dumping duties in place shows the likelihood of further increase in imports in the event of expiry of measures.

c. Third country dumping and third country injurious imports.

100. The Authority has examined the information with regard to exports to third countries, as provided by the participating producers. Export price of these third countries exports was compared with selling price in India, normal value determined for the Chinese producers and non-injurious price of the domestic industry. The comparison was done for each export transaction of these participating exporters. On this basis, the Authority determined volume of exports to third countries below selling price in India (price attracting exports), normal value determined for the Chinese producers (exports at dumping prices) and non-injurious price of the domestic industry (injurious exports to third countries). The exports to related entities have not been considered for the purpose of the below analysis.

SN	Particulars	Total exports MT	Exports below price in India MT	Exports at dumped prices MT	Exports at injurious price MT
1	Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd	***	***	***	***
2	Sichuan Dowhon New Materials Co., Ltd	***	***	***	***
3	Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd	***	***	***	***
4	Daikin Fluorochemicals (China) Co.,	***	***	***	***
5	Chemours Chenguang Fluoromaterials (Shanghai) Co. Ltd	***	***	***	***
6	Total of participating	1430	1007	300	658
7	In relation to total imports %		70%	21%	46%

101. Based on the above, it is seen that

- Majority of the exports to other countries for the participating producers are priced below the price in India which establishes that the prices in the Indian market are lucrative and therefore, the Indian market is a price attractive market for these producers. This shows that the Chinese producers would intensify their exports to India, in case the present measure is not extended further.
- In case of Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd, Sichuan Dowhon New Materials Co., Ltd, and Chemours Chenguang Fluoromaterials (Shanghai) Co. Ltd, large share of the exports to third countries are at dumped prices.
- In case of Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd, Sichuan Dowhon New Materials Co., Ltd, and Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd, majority of the exports to third countries are at injurious prices.
- Cumulative volume of exports from the participating companies to 3rd countries at prices below normal value, selling price in India and non injurious price for the domestic industry is quite significant in relation to total imports, production of the domestic industry and consumption in India.

d. Chinese producers are export oriented.

102. The domestic industry has claimed that the Chinese producers are export oriented since China is amongst the top three exporters of the subject goods and most of the FKM exports are targeted to India, Germany and United States. The applicant has also submitted evidence to show that Chenguang Fluoro & Silicone Polymer Co Limited exports 80-90% of its annual production and 16% of the exports made by the company have been made to India.
103. The Authority has examined the data for the participating exporters. The table below shows the export volume and the production of the producers.

SN	Particulars	Production in MT	Exports in MT			Export orientation in %
			India	ROW	Total	
1	Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd	***	***	***	***	45-55%
2	Sichuan Dowhon New Materials Co., Ltd	***	***	***	***	5-15%
3	Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd	***	***	***	***	25-35%
4	Daikin Fluorochemicals (China) Co.,	***	***	***	***	45-55%
5	Chemours Chenguang Fluoromaterials (Shanghai) Co. Ltd	***	***	***	***	30-35%
6	Total of participating	10,064	596	2522	3117	31%

104. Some of the participating producers have reported significant high exports as a percentage of their production. This shows that the major share of the production is for export market, indicating a likelihood of increase in the imports in the event of expiry of measures.
- e. Importance of the Indian market for the producers in subject country.
105. The applicant had claimed that Indian market is an important market for the producers in the subject country. The Authority has compared the share of the Indian exporters in the total exports of the participating producers in the subject country.

SN	Particulars	Exports to India	Total exports	Share of Indian exports
1	Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd	***	***	25-35%
2	Sichuan Dowhon New Materials Co., Ltd	***	***	30-40%
3	Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd	***	***	10-20%
4	Daikin Fluorochemicals (China) Co.,	***	***	10-20%
5	Chemours Chenguang Fluoromaterials (Shanghai) Co. Ltd	***	***	10-20%
6	Total of participating	***	***	10-20%
7	Less Exports to related entities	***	***	***
8	Net exports to unrelated entities	596	2062	29%

106. It is seen based on the total data reported by the participating producers, around ***% exports are to India. It is also seen that in case of Daikin Fluorochemicals (China) Co., close to ***% exports to other countries are to related entity. Similarly, in case of Chemours Chenguang Fluoromaterials (Shanghai) Co. Ltd, ***% of exports are to related entity. If the exports to unrelated entities are excluded, share of exports to India is 29% of total exports to India.

f. Significant capacities held by Chinese producers.

107. The domestic industry claimed that the producers in China are operating with high capacities. The Authority has examined the data for the participating exporters. The table below shows the capacity, production and domestic sales of the producers.

SN	Particulars	Capacity in MT	Capacity utilization %	Idle capacity in MT
1	Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd	***	***	***
2	Sichuan Dowhon New Materials Co., Ltd	***	***	***
3	Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd	***	***	***
4	Daikin Fluorochemicals (China) Co.,	***	***	***
5	Chemours Chenguang Fluoromaterials (Shanghai) Co. Ltd	***	***	***
6	Total of participating	17,800	56.54%	7,736

108. The Authority notes that the Chinese producers hold significant production capacities. The capacities are in excess of domestic demand, which is also established by significant share of production being used for export purposes. Despite significant capacities already being utilised for exports, the participating Chinese exporters alone hold unutilised capacities which are significantly more than the gross Indian demand. Thus, the Chinese producers are in a position to take over entire Indian demand. The existence of idle capacities indicates that these are likely to be utilized for exports to India in the absence of duties.
109. Having already found that the Indian market is price attractive, it is also seen that the excess capacity in China can be used to cater domestic demand in India. The capacity in China is much more than the Indian demand.

g. Imposition of measures by other jurisdictions.

110. The applicant has submitted that United States of America is the biggest export market for China for the product under consideration. However, in light of the new tariff under International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), producers in China may shift their export market from United States of America. The applicant has provided the following information in support of the contention. It is seen that the current volume of exports to USA is more than twice the gross Indian demand. Thus, if the Chinese producers were to loose USA market (which is quite imminent with the increase in tariff by USA), the Chinese producers are likely to significantly increase their exports to India.

SN	Year	Total exports	Exports to USA	Share of exports to USA in total exports
1	2020	19,655	2,374	12%
2	2021	26,570	3,420	13%
3	2022	31,732	5,695	18%
4	2023	32,124	5,555	17%
5	2024	32,003	6,020	19%

Source – Trademap data for tariff code 390469 as provided in the application.

I. CAUSAL LINK & NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

111. As per the Rules, the Authority is required to, inter alia, examine any known factors other than dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original investigation, the Authority examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. It was examined whether other factors listed under the Rules could have contributed or likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry.
- a. Volume and price of imports from third countries
112. There are significant imports from other countries. These are at a price materially higher than the import price from China. Thus, import price from other countries could not have been a cause of present or potential injury to the domestic industry.
- b. Contraction in demand and / or change in pattern of consumption
113. It is seen that the demand for the subject goods has shown an increasing trend. Thus, possible contraction in demand could not have been a cause of present or potential injury to the domestic industry.
- c. Trade restrictive practices
114. The Authority notes that there are no trade restrictive practices or conditions of competition.
- d. Development of technology
115. There has been no change in technology for production of the subject goods. The applicant has set up a new plant for the production of the subject goods. Further, the domestic industry has recently enhanced capacities to a significant degree.
- e. Export performance
116. It is noted that the applicant has segregated the export performance from the domestic performance, and thus, no injury has been caused in this account.
- f. Performance of other products
117. The applicant has provided segregated data with regard to the subject goods only.
- g. Productivity.
118. The Authority notes that the productivity of the applicant has increased and thus, it has not suffered injury on this account.

h. Overall conclusions on dumping and likelihood of injury.

119. Based on the above analysis, the Authority concludes as follows: -

- i. The volume of imports has increased over the injury period and was highest in the period of investigation.
- ii. The subject imports have shown an increasing trend in terms of consumption in India.
- iii. The price undercutting is negative on an overall basis. The price undercutting is positive for co-polymer raw gum (FCP#RG0001) and Terpolymer Bis-Phenol Curable Pre-Compound (FCP#PC0005).
- iv. Because of the anti-dumping duty in force, the prices of the applicant have not been suppressed or depressed in the period of investigation.
- v. Capacity, production and domestic sales of the applicant has increased over the injury period because of the anti-dumping duty in force.
- vi. The profitability increased in 2022-23 but declined in 2023-24 and has increased again in the period of investigation.
- vii. The applicant has the capacity to cater for the entire demand, but its share is less than 50%. The imports from China cater to one forth of the market.
- viii. The dumping margin and injury margin in third countries exports, price attractiveness of Indian market, clearly establish a likelihood of increase in imports.
- ix. The producers in the subject country have significant exportable capacity and majority of their production is for export market.
- x. The data on record also shows that the Indian market is an attractive export market for the participating producers.
- xi. The prices in the Indian market are lucrative providing the producers an incentive to divert their exports to Indian market in event of expiry of measures.

120. The performance of the applicant has improved both in volume and price parameters, as a result of the anti-dumping duty in force. Therefore, the Authority concludes that the applicant has not suffered continued injury.

121. The imports from China have increased and in the absence of anti-dumping duty in place, any imports at dumped prices and undercutting the domestic prices are therefore likely to cause adverse price effect on the industry. The Authority concludes that there is a likelihood of continuation/recurrence of dumping and consequent injury, in the event of expiry of duty.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN.

122. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry. The non-injurious price has been compared with the landed price of the product under consideration from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilization of the raw materials and utilities and best utilization of production capacity has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses and/or assets have been excluded from the cost of production and/or non-injurious price. A reasonable return (pre-tax 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) deployed for the product under consideration has been allowed for recovery of interest, corporate tax, and profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules.

SN	Particulars	NIP \$/MT	Landed price \$/MT	Injury margin \$/MT	Injury margin %	Injury margin %
1	Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd	***	***	***	***	50-60%
2	Sichuan Dowhon New Materials Co., Ltd	***	***	***	***	30-40%
3	Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd	***	***	***	***	Negative
4	Daikin Fluorochemicals (China) Co.,	***	***	***	***	Negative
5	Chemours Chenguang Fluoromaterials (Shanghai) Co. Ltd	***	***	***	***	Negative
6	Others	***	***	***	***	50-60%

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

K.1. Submission of the other interested parties.

123. The other interested parties have not made any submissions on the Indian industry interest.

K.2. Submission of the applicant.

124. The applicant has made been following submissions on Indian industry interest:

- a. The subject goods are majorly used in the automotive industry for manufacturing o-rings and gaskets which are used to manufacture engines, transmission, fuel system, and air conditioning system.
- b. These manufacturers do not bear any increase in the prices as these products are not imported. The manufacturer of these components directly passes on any increase in the prices of the inputs to the automotive manufacturer.
- c. The refinery sector also uses the product as consumable in converting crude into various products. Since it is not even raw material in this sector, any increase in the prices would have negligible effect on the industry.
- d. The applicant has set up a new plant with a capacity of *** MT during the injury period in order to meet the growing demand in the country and reduce reliance on imports, which is at risk if duties are revoked.
- e. At the time of the original investigation in 2018, there was a demand-supply gap for the subject goods. However, the duties have allowed the applicant to grow and now there is no gap now.
- f. Continuation of duties would lead to conservation of outgoing foreign exchange and would be a step towards a favorable balance of payment account.
- g. No user has participated in the investigation which shows that the duties in place will not impact on the user industry.

L.3. Examination of the Authority

125. The Authority considered whether imposition of the recommended anti-dumping duty will be against public interest. This determination is based on consideration of information on records and interests of various parties including the applicant, foreign producers and consumers.

126. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the users to provide the relevant information with regard to the present review investigation, including possible effect of the anti-dumping duty on their operation. The Authority sought information on, inter-alia, interchangeability of the product supplied by the various suppliers from different countries, ability to switch sources, the effect of the anti-dumping duty on the consumers, the factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by the continuation of the anti-dumping duty.
127. It is noted that the purpose of anti-dumping measures, in general, is to eliminate injury caused to the applicant by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The Authority recognizes that the continuation of the anti-dumping duties might affect the price levels of the product under consideration as well as other downstream products manufactured by using the subject goods in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, the continuation of anti-dumping measures would prevent the decline in the performance parameters of the applicant that may ensue as a consequence of low-priced imports from the subject country and help maintain the wider availability of choices to the consumers of the product under consideration.
128. The Authority had prescribed an economic interest questionnaire which was sent to all interested parties to this review investigation. Only the applicant has responded to the economic interest questionnaire. The applicant has supplied information related to the applicant. No user of the subject goods has stepped forward to participate before the Authority. No participating party has claimed or presented any evidence to indicate the adverse effect of the duties in force. This lack of evidence and silence of the stakeholders reinforces the necessity of anti-dumping measures to ensure fair trade practices.
129. The Authority notes that prior to the establishment of the plant by the applicant, India was completely import dependent. The applicant has heavily invested in the plant to manufacture the subject goods and make India self-reliant. The applicant has also set up a new plant in the injury period.
130. The domestic industry has highlighted that the users will not be adversely impacted by the duties as they are not a major cost to downstream industry. This clearly indicates that the duties in place have not affected the user industry and their performance.
131. The Authority further notes that the imposition of anti-dumping duty will not lead to scarcity of the subject goods in India. It is noted that anti-dumping duty does not restrict imports but ensures that imports are available at fair prices. The imposition of duty would, therefore, not affect the availability of the product. In any case, the capacity of the applicant is more than the demand in India, thereby ensuring that there remains sufficient supply in the country. There are various other countries as well supplying the product under consideration in the Indian market.

L. POST-DISCLOSURE COMMENTS

L.1. Submission of the other interested parties.

132. The following post disclosure comments have been filed by the interested parties.
- a. Chemours Chenguang Fluoromaterials (Shanghai) Co., Ltd. and Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd., are independent entities, despite their joint

- venture relationship. They operate separately, compete in the same markets, and have filed independent responses in this investigation.
- b. During the current period of Investigation, Solvay Specialty Polymers (Changshu) Co. Ltd. did not export the product under consideration to India. This material fact has not been reflected in the disclosure statement.
 - c. While the injury margin for certain producers is negative, the price undercutting remains positive. This indicates that the domestic industry has been able to sell the product under consideration at prices above the non-injurious price, thereby mitigating injury.
 - d. In quantifying the volume of imports, while the period of investigation data from CCF has been considered, the import volumes have not been adjusted for the preceding injury period. This has resulted in an inconsistency in the import volume used for injury analysis.
 - e. Disclosure Statement incorrectly records that price undercutting is positive for both Co-Polymer Raw Gum (FCP#RG0001) and Terpolymer Bis-Phenol Curable Pre-Compound (FCP#PC0005), however, price undercutting for FCP#PC0005 is negative.
 - f. There is mismatch in the import volume in paragraph 68 and paragraph 70.
 - g. The Authority should focus its analysis on dumped imports rather than total imports when evaluating the likelihood of injury as dumping margin for 3 producers is negative.
 - h. The Authority has not examined third country dumping on PCN basis, which is crucial for fair assessment as there are large number of PCNs.
 - i. The applicant has failed to provide, and the Authority has failed to analyse post POI data to showcase the likelihood of the continuance of dumping or injury that will be suffered by it, if the duty ceases to exist.
 - j. CCF did not export during the POI of original and first sunset review investigation and hence it must be granted a rate in the current investigation.
 - k. Zhonghao Chenguang and CCF are related parties as the relationship falls squarely within the ambit of Trade Notice No. 9/2018, which establishes a relationship where a person holds more than 5% shares in two entities – the said two entities are deemed to be related.
 - l. CCF products can never injure the domestic industry because CCF's prices are found to be non-dumped and non-injurious to the domestic industry. CCF sells quality products, and its prices cannot injure the domestic industry even in future periods.
 - m. The Authority is requested to verify the import data from the DG Systems by specifically searching for exports originating from TZCL or Chemours Shanghai to India during the period of investigation. The data associated with these entities should be considered as representing the imports of CCF's products into India
 - n. The applicant has kept their focus on the capacity expansion by one of the producers, but they have failed to provide any substantial data to prove the surplus capacity.

L.2. Submission of the applicant.

133. The following post disclosure comments have been filed by the applicant.
 - a. Prior to 2017–18, there was no indigenous production of the subject goods in India. The imposition of anti-dumping measures has enabled the domestic industry to expand its capacity but has also attracted new producers to enter the Indian market.
 - b. Chemours Company (USA) in partnership with SRF Limited are planning to start domestic production in India. Continuation of the anti-dumping measures is critical to sustaining long-term growth of the Indian industry.
 - c. Whereas terpolymer prices during the period of investigation were Rs 3,146 per KG, one of the Chinese producers has started selling terpolymer products at much reduced prices, thus threatening damage to Indian industry

- d. Submissions of the domestic industry on normal value have been completely disregarded without any reasons provide and this has resulted in an unfavourably low normal value.
- e. Domestic industry had requested a reasonable element of profit be factored in in respect of captive inputs while determining the normal value. Excluding profit margin does not reflect the true economic value of the product. However, the same has not been considered.
- f. Valuation of R142 B based on import price is not in accordance with Annexure III of the Rules. The Authority has also completely ignored the fixed costs incurred by the domestic industry on its production facilities. Actual cost of production should be considered for determining cost of R142 B. If the Authority considers that it would not be improper to consider the actual cost of production, the Authority is requested to consider adding the fixed cost to the purchase price.
- g. As per Section 9A (5) of the Act and Rule 23 of the Rules, the only objective and purpose of a sunset review is to determine, after examination of relevant factors, whether the period of imposition is needed to be extended for a further duration of five years.
- h. If any party needs re-quantification of anti-dumping duty, the party is free to approach the Authority through the provisions of review under the law. A sunset review is not the appropriate review to seek re-quantification of anti-dumping duty.
- i. WTO member countries, such as European Union (EU), USA, China, Argentina etc. extend the same quantum of anti-dumping and do not re-quantify quantum in sunset review.
- j. In the sunset review of Caustic Soda from Chinese Taipei, Indonesia and EU (excluding France), the Authority determined a negative dumping margin for PT Asahimas & Tricon. Since there was likelihood of duties, the Authority recommended same duties as determined in the 1st sunset review investigation.
- k. In the sunset review investigation concerning imports of Viscose Staple Fibre, PT Asia Pacific did not participate in the original and 1st sunset review investigation. The injury margin determined for the producer in the second sunset review was negative. The Authority concluded that there is likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury and recommended same duties for the producer as determined in the 1st sunset review investigation.
- l. While the anti-dumping duties are operative, no definitive inference can be drawn from the change in the dumping margin and injury margin in such situations due to the fact that anti-dumping duty is in place.

L.3. Examination of the Authority

134. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties. It is observed that most of these submissions are reiterations of arguments and contentions that have already been examined and addressed to the extent deemed necessary in the relevant paragraphs of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and the domestic industry and considered relevant by the Authority are examined below. Any submission which was merely a reproduction of the previous submissions, and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.
135. On the comments of Chemours Chenguang Fluoromaterials (Shanghai) Co. Ltd. that it is related to Chenguang Fluoro And Silicone Elastomers Co. Ltd, the Authority considers that in a situation where two companies are operating as independent entities and competing with each other (as established by the submissions of the two companies wherein one company has sought same duty to the two companies, whereas other company has objected to the same) and where the two companies are selling at materially different prices the product falling under one PCN, it is evident that despite legal relationship, the two companies are two separate and independent legal entities in so far as their pricing and dumping behaviour is concerned. Both the domestic industry and Zhonghao Chenguang have

contended that these companies have operated as different business entities. The Authority therefore considers that it would not be appropriate to consider the two entities as related. Similarly, the Authority also considers that it will not be appropriate to extend individual duty earlier determined for Zhonghao Chenguang to exports by Chemours Chenguang Fluoromaterials (Shanghai) Co. Ltd.

136. On the comments that there is a mismatch in the volume of imports as reported in price undercutting in paragraph 68 and 70, the Authority notes that the price undercutting in para 68 is based on DG System transaction wise data and the price undercutting in para 70 is based on response of the participating producers as clarified in the relevant paragraphs.
137. The Authority observes that Solvay Specialty Polymers Co. Ltd., though registered as an interested party in the present investigation, did not submit its exporter's questionnaire response. The producer has stated that no exports of the subject product were made during the period of investigation. The Authority notes that the company did not provide Part I and II of the questionnaire response which relates to information regarding exports.
138. On the comments that the Authority has not examined third country dumping on PCN basis, it is clarified that the Authority has conducted third country dumping and injury analysis on PCN basis.
139. On the comments that the domestic industry has focused on the capacity expansion by one foreign producer but failed to provide any substantial data to prove the surplus capacity, the Authority clarifies that the likelihood analysis has been conducted based on the questionnaire response of the participating producers from the subject country.
140. On the comments made on normal value and non-injurious price, these have been calculated based on the consistent practice of the Authority.

M. CONCLUSION

141. Having regard to the contentions raised, information provided, submissions made and the facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that: -
 - a. The product under consideration in the present investigation is Fluoroelastomers (FKM). Fluoroelastomers includes copolymer and terpolymer both in raw gum and pre-compound form and of different types. Compounds and FFKM are excluded from the scope of product under consideration.
 - b. The product produced by the domestic industry is a like article to the imported product.
 - c. The applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules, and the application satisfies the requirements under the Rules.
 - d. Dumping margin is positive for Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd, Sichuan Dowhon New Materials Co., Ltd, and other non participating exporters.
 - e. The import volume from the subject country has increased in absolute and relative terms.
 - f. The price undercutting is negative on an overall basis. The price undercutting is positive for copolymer raw gum (FCP#RG0001) and Terpolymer Bis-Phenol Curable Pre-Compound (FCP#PC0005).
 - g. The domestic industry has expanded capacity over the injury period, and the production and domestic sales have increased.

- h. The domestic industry had suffered losses in past. The domestic industry has earned profits throughout the injury period.
- i. Cumulative volume of exports from the participating companies to 3rd countries at prices below normal value, selling price in India and non injurious price for the domestic industry is quite significant in relation to total imports, production of the domestic industry and consumption in India.
- j. In addition to significant capacities already being utilised for exports, the participating Chinese producers have more than 7000 MT of unutilised capacity which is almost thrice the demand in India.
- k. The performance of the applicant has improved both in volume and price parameters, as a result of the anti-dumping duty in force. However, as determined above, the Authority concludes that there is a likelihood of continuation/recurrence of dumping and consequent injury, in the event of expiry of duty.
- l. The impact of anti-dumping duty on the end consumer is found insignificant.
- m. The investigation had not brought to light any considerations demonstrating that such continuation of measures would not be in the public interest.
- n. Another producer Chemours Company (USA) in partnership with SRF Limited is starting domestic production in India. Continuation of the anti-dumping measures is critical to sustaining long-term growth of the Indian industry.

N. RECOMMENDATIONS

- 142. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury.
- 143. Having concluded that there is a need for continued imposition of anti-dumping duty as there is a likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury if the anti-dumping measure are allowed to cease, the Authority considers that the quantum of anti-dumping duty is not required to be modified, considering that the duty is proposed to be extended on the grounds of likelihood of dumping and injury. The cumulative volume of dumped and injurious exports from cooperating exporters to India and to the rest of the world have been considered. The Authority notes that in the instant case the likelihood of injury has been found by the Authority which has been assessed and evaluated on the basis of questionnaire response of the Chinese exporters and considering their cumulative volume of dumped and injurious exports to India. The Authority considers that the modification of duties based on dumping margin and injury margin determined in the present investigation will not be appropriate, considering that the anti-dumping duty is proposed to be extended on the grounds of likelihood of injury to the domestic industry.
- 144. In view of same, the Authority considers it appropriate and necessary to recommend continuation of definitive antidumping duty as notified vide final finding F. No. 7/03/2020-DGTR dated 19th October 2020 (as modified by corrigendum), except in respect of those producer exporters who have not participated in the current sunset review investigation. Those non-cooperating producer exporters in this sunset review investigation have been accorded residual duty as mentioned in the table below. Further Chemours Chenguang Fluoromaterials (Shanghai) Co. Ltd. and Sichuan Dowhon New Materials Co., Ltd. had not participated in the original and first sunset review investigation and the fact that the Authority has recommended continuation of measures based on likelihood of injury in the subject review investigation, the Authority considers that it would not be appropriate to accord

individual anti-dumping duty to the producers. However, the producers are free to seek an appropriate review in accordance with the Rules.

145. Considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, anti-dumping duty equal to the amount indicated in Column (7) of the duty table given below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of the product under consideration, from the subject country for a further period of five (5) years.

Duty table

SN	Heading	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	UOM	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3904 50 90. 3904 69 90. 3904 90 90, 3904 69 10**	Fluoro elastomers (FKM)*	China PR	Any country including China PR	Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd	1.04	KG	US\$
2	-do-	-do-	-do-	-do-	Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd	1.30	KG	US\$
3	-do-	-do-	-do-	-do-	Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd.	3.85	KG	US\$
4	-do-	-do-	-do-	-do-	Any producer other than mentioned in S. N. 1 to 3 above	8.86	KG	US\$
5	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	8.86	KG	US\$

**The scope of the product under consideration is Fluoroelastomers. including Copolymer Fluoroelastomers, Terpolymer Fluoroelastomers. Copolymer Raw gum, Copolymer Pre Compound, Terpolymer Bisphenol Curable Raw Gum, Terpolymer Peroxide Curable Raw Gum and Terpolymer Bisphenol Curable Raw Gum. However, FKM compound and Perfluoroelastomer (FFKM) are excluded from the scope of the subject goods.*

*** Customs classification is only indicative and not binding on the scope of the investigation.*

O. FURTHER PROCEDURE.

146. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/ Rules.

SIDDHARTH MAHAJAN, (Designated Authority)